

मामलों का विवरण

आयुर्वेदिक विज्ञान और ए. एन. आर. में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद।

वी.

बीकार्टन दास और ओआरएस।

(सिविल अपील सं. 2023 का 3339) 16 अगस्त, 2023

[डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई और जे. बी. पारदीवाला, जे.]

हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: उच्च न्यायालय, यदि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए गलती करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का हकदार है जैसा कि आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले आयुष डॉक्टरों पर लागू होता है।

सेवा कानून-सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लाभ का अनुदान-अस्थिरता:

आयोजित किया गया: प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपीलार्थी-केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सी. सी. आर. ए. एस.) द्वारा अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अनुसंधान परिषद के तहत एक शोधकर्ता के रूप में काम कर रहा था और आयुष मंत्रालय में सेवारत आयुष डॉक्टरों की तुलना में उसकी सेवा की शर्तें भी अलग थीं-अपीलार्थी-परिषद एक पंजीकृत स्वायत्त निकाय है और इसे आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रशासनिक रूप से नियंत्रित किया जाता है-भर्ती नियम, प्रक्रिया और उसके कर्मचारियों की सेवा की शर्तें परिषद के उपनियमों और संघ के ज्ञापन द्वारा नियंत्रित होती हैं-उच्च न्यायालय ने खुद को यह कहते हुए गलत तरीके से निर्देशित किया कि सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का लाभ भी दिया जा सकता है यदि कर्तव्यों का पालन किया जाता है।

731 732

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

सी. सी. आर. ए. एस. जैसे स्वायत्त निकाय के लिए-सेवानिवृत्ति की आयु हमेशा किसी विशेष पद पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती है-इसलिए, भले ही यह माना जाता है कि दोनों पदों में शामिल काम की प्रकृति समान है, लेकिन यह किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों को बढ़ाने या बदलने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक पद अपने स्वयं के नियमों के सेट द्वारा शासित होता है-विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है, अलग-सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860।[पैरास 23,34,44 और 48]

सेवा कानून-सेवा में निरंतरता के लिए दी गई अंतरिम राहत-अनुचितता:

आयोजित किया गया: अदालत या न्यायाधिकरण को सेवा में बने रहने के लिए अंतरिम राहत देने में धीमी और चौकसी बरतनी चाहिए, जब तक कि प्रथम दृष्टया निर्दोष चरित्र का सबूत पेश नहीं किया जाता है क्योंकि यदि लोक सेवक सफल होता है, तो उसे हमेशा मुआवजा दिया जा सकता है-लेकिन अगर वह विफल रहता है, तो उसे विस्तारित सेवा का अनुचित लाभ मिलता और अपने तत्काल कनिष्ठ के साथ अन्याय होता-वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने कैट द्वारा मूल याचिका के निपटारे तक 60 साल से अधिक की सेवा की अवधि को बढ़ाने के लिए अंतरिम राहत देने की सीमा तक चला गया-ऐसे अंतरिम आदेश के आधार पर जो उच्च न्यायालय को सामान्य रूप से नहीं देना चाहिए था, प्रतिवादी संख्या 1 को 2018 में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन 2021 तक सेवा में बने रहना था-यह केवल तभी है जब सर्वोच्च न्यायालय ने अभियुक्त के संचालन पर रोक लगा दी।[पैरा 48]

सेवा कानून-केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के संघ का ज्ञापन-उप-कानून-खंड **25 (बी), 34,35** और **47-**प्रतिवादी संख्या **1** की याचिका यह थी कि एफ. आर. **56 (बी. बी.)** के प्रावधान परिषद के उप-कानूनों के खंड **35** को देखते हुए परिषद के कर्मचारी के रूप में उनकी क्षमता में लागू होंगे, जिसके द्वारा एफ. आर. और एस. आर. के प्रावधान परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

आयोजित किया गया:एसोसिएशन के ज्ञापन में उपनियमों के खंड **25 (बी), 34,35** और **47** से संकेत मिलता है कि कर्मचारियों की भर्ती परिषद की चयन समिति के माध्यम से की जाती है-यह आगे इंगित करता है कि मौलिक नियम, **1922** का उन मामलों में कोई सीधा अनुप्रयोग नहीं होगा जहां शासी निकाय सेवानिवृत्ति के नियमों को कम करता है-उपनियमों के खंड **34** के संदर्भ में, शासी निकाय ने सेवानिवृत्ति की आयु **01.12.1998** पर **60** वर्ष तय की थी-उक्त निर्णय की पुष्टि **27.01.2000-CAT 733** पर की गई थी।

आयुर्वेदिक विज्ञान बनाम बीकार्टन दास में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद

यह विचार रखते हुए कि प्रत्यर्थी संख्या **1** की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि परिषद उपनियमों के खंड **35** पर विचार करने में विफल रही, जिसमें कहा गया है कि समय-समय पर संशोधित एफ. आर., पूरक नियम (एस. आर.) और सामान्य वित्तीय नियम (जी. एफ. आर.) परिषद के कर्मचारियों पर उत्परिवर्तित परिवर्तनों को लागू करेंगे, बिना किसी योग्यता के थे और अस्वीकार किए जाने के योग्य थे-सी. ए. टी. ने इस तरह के तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया क्योंकि यह लागू होना परिषद के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले खंड **34** के प्रावधानों से अधीन होगा-जिसके आधार पर उपनियमों के खंड **35** में कुछ भी नहीं है, यह कहा जा सकता है कि इसका एक प्रबल प्रभाव होगा।[पैरा **25,28** और **29**]

शब्द और वाक्यांश-"या", "और"-व्याख्या-प्रत्यर्थी संख्या **1** की याचिका कि उपनियमों के खंड **34** को दो भागों में पढ़ा जाना चाहिए-प्रथम भाग में कहा गया है कि समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे; खंड **34** का दूसरा भाग जो "या" जैसा कि शासी निकाय द्वारा वांछित है" केवल एक सक्षम प्रावधान है जो शासी निकाय को यह निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है कि क्या कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु से परे बनाए रखने का हकदार है या नहीं और ऐसी शक्ति को नकारात्मक रूप में पढ़ा जाना चाहिए ताकि शासी निकाय को सुपरैन की कम आयु निर्धारित करने की शक्ति के साथ पहना जा सके।

आयोजित किया गया:इस तरह के तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है-"या" शब्द सामान्य रूप से असंगत है और "और" शब्द सामान्य रूप से संयुग्म है-दोनों को इसके विपरीत के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उस व्याख्या को केवल वहीं अपनाया जाता है जहां विधायिका का इरादा प्रकट होता है-वर्तमान मामले में, खंड **34** की भाषा बहुत स्पष्ट है।खंड **34** को पढ़ते समय "या" शब्द पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है-इसके बाद, एक परंतुक है जो कहता है कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[**2023**] **11** एस सी आर।

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकता है यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम और प्रभावशाली बना रहता है और उसे सेवा में बनाए रखना केंद्रीय वकील के हित में है-"समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम" अभिव्यक्ति को उप-कानून के शेष भाग से "या" शब्द द्वारा अलग किया जाता है जो असंगत है और उक्त शब्द को स्वाभाविक अर्थ देता है जो भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों और उन नियमों को अलग करता है जो परिषद के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में परिषद बनाना चाहेगी-कानूनों की व्याख्या।[पारस **30-32**]

सेवा कानून-वेतन और भत्तों और वेतन के संशोधन से संबंधित सेवा शर्तों के साथ सेवानिवृत्ति की आयु-प्रतिवादी संख्या **1** ने तर्क दिया कि भविष्य निधि/जी. पी. एफ., पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नियम, वेतनमान, आचरण नियम और सेवाओं की अन्य शर्तों जैसे अन्य सभी पहलुओं पर परिषद के कर्मचारियों की सेवाओं के नियम और शर्तें केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं जैसा कि उप-कानूनों के खंड **31,32,33,42,44** और **47** में क्रमशः निर्धारित किया गया है, प्रतिवादी संख्या **1** की सेवानिवृत्ति की आयु के मामले को अलग-अलग नहीं माना जाना चाहिए:

आयोजित किया गया:सेवानिवृत्ति की आयु क्या होनी चाहिए, यह नीति का विषय है-यह कानून बनाने के लिए अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है-यह केवल तभी होता है जब कोई नीतिगत निर्णय या अधिसूचना मनमाना हो और यह संविधान के अनुच्छेद 14 के विरोध को आमंत्रित कर सकता है-सेवानिवृत्ति की आयु का सवाल वेतन और भत्तों और वेतन के संशोधन से संबंधित सेवा शर्तों से अलग है।[पैरा 35]

सेवा कानून-प्रत्यर्थी **No.1-Research** सहायक का दावा कि उसकी सेवानिवृत्ति की आयु आयुष डॉक्टरों के बराबर होगी-अनुच्छेद 14 का उल्लंघन आरोपित:

आयोजित किया गया:प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए अनुसंधान सहायक और आयुष डॉक्टरों के बीच कृत्रिम अंतर के आधार पर अनुच्छेद 14 के उल्लंघन सहित ऐसे सभी मुद्दों को उठाने में बहुत देर हो चुकी है-प्रत्यर्थी संख्या 1 को अपनी नियुक्ति की तारीख से पता था कि उन्हें अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है-उनकी सेवा की शर्तें और भर्ती का तरीका आयुष डॉक्टरों की तुलना में अलग-अलग है-यह एक अलग बात है कि उन्होंने रोगियों का इलाज किया होगा, लेकिन यह अपने आप में 735 नहीं होगा।

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास 736 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

उसे यह दावा करने का अधिकार दें कि उसकी सेवानिवृत्ति की आयु आयुष डॉक्टरों के बराबर होनी चाहिए-वर्तमान मामला भेदभाव का नहीं है-वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 14 का कोई अनुप्रयोग नहीं है-भारत का संविधान-अनुच्छेद 14।[पैरा 37 और 39]

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-असाधारण अधिकार क्षेत्र-शासी कानून के सिद्धांत-प्रमाण पत्र जारी करना-चर्चा की गई।

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम डॉ. राम नरेश शर्मा और

अन्य 2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 540-लागू नहीं हुआ।

यूनानी चिकित्सा में केंद्रीय अनुसंधान परिषद बनाम डॉ. सलमा खातून और अन्य 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1332; वी. एम. गद्रे बनाम एम. जी. दीवान और

अन्य (1996) 3 एस. सी. सी. 454:[1996] 3 एससीआर 480; जनगणना आयुक्त और अन्य बनाम आर. कृष्णमूर्ति (2015) 2 एससीसी 796:[2014] 11 एस. सी. आर. 463; राज्य

हिमाचल प्रदेश और अन्य बनाम राजेश चंदर सूद और अन्य (2016) 10 एससीसी 77:[2016] 6 एससीआर 851; टी. एम. संपत और अन्य बनाम जल संसाधन और अन्य मंत्रालय के सचिव (2015) 5 एससीसी 333:[2015] 1 एस. सी. आर. 748; महाराष्ट्र राज्य और एक अन्य बनाम भगवान और अन्य (2022) 4 एस. सी. सी. 193; तमिलनाडु शिक्षा विभाग मंत्री और सामान्य अधीनस्थ सेवा संघ और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और

अन्य (1980) 3 एस. सी. सी. 97:[1980] 1 एस. सी. आर. 1026; बिहार राज्य और दूसरा

v. सरकार का शिक्षक संघ। इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य (2000) 10 एस. सी. सी. 527; केरल सहायक लोक अभियोजक संघ बनाम राज्य

केरल और अन्य एआईआर 2018 एससी 2652:[2018] 6 एस. सी. आर. 1139; संघ

भारत और अन्य बनाम लेफ्ट (श्रीमती) ई. आईकैट्स (1997) 7 एस. सी. सी. 334; न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और एक अन्य बनाम बी. डी. सिंघल और अन्य एआईआर 2021 एससी 3457; टी. सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा और एक अन्य ए. आई. आर 1954 एस. सी. 440:[1955] एससीआर 250; सैयद याकूब बनाम के. एस.

राधाकृष्णन और अन्य ए. आई. आर 1964 एस. सी. 477:[1964] एस. सी. आर. 64; सूर्य देव राय बनाम रामचंद्र राय और

अन्य (2003) 6 एस. सी. सी. 675:[2003] 2 पूरक।एस. सी. आर. 290; हरि विष्णु कामत बनाम अहमद इशाक और अन्य ए. आई. आर. 1955 एस. सी. 233:[1955] एससीआर 1104; के. एम.

षण्मुगम बनाम S.R.V.S। (पी) लिमिटेड और अन्य एआईआर 1963 एससी 1626:[1964] एस. सी. आर. 809; सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े और अन्य बनाम मल्लिकार्जुन

भावनाप्पा तिरुमाले ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 137:[1960] एस. सी. आर. 890; भारतीय प्रवासी

बैंक बनाम आई. ओ. बी. कर्मचारी कैंटीन श्रमिक संघ और एक अन्य ए. आई. आर. 2000 एस. सी.

1508 :[2000] 2 एस. सी. आर. 1212; इब्राहिम अबूबकर और हवाबाई अबूबकर बनाम निकासी संपत्ति के संरक्षक जनरल, नई दिल्ली (1952) 1 एस. सी. सी. 798; पैरी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर्मचारी संघ,

मद्रास एंड अदर (1952) 1 एस. सी. सी. 449:ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 177:[1952] एससीआर

519; राय बृज राज कृष्णा और एक अन्य बनाम मेसर्स एस. के. शॉ और ब्रदर्स,

ए. आई. आर 1951 एस. सी 115:[1951] एस. सी. आर. 145; जी. वीरप्पा पिल्लई बनाम मेसर्स रमन

और रमन लिमिटेड कुंभकोणम, तंजौर जिला और अन्य (1952) 1 एस. सी. सी.

334 – संदर्भित किया गया।

वैधानिक व्याख्या के सिद्धांतों में न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह

(तेरहवाँ संस्करण 2012) पृष्ठ 485-संदर्भित।

एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम।विदेशी क्षतिपूर्ति आयोग और एक अन्य (1969) 2 एसी 147; किंग बनाम नेट बेल लिंकर लिमिटेड (1922) 2 एसी 128 (पीसी); कोलोनियल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम विलन (1874) एलआर 5 पीसी 417; आर. वी.ब्राइटन

और क्षेत्र किराया न्यायाधिकरण (1950) 1 ऑल इंग्लैंड रिपोर्टर 946-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपील न्यायनिर्णय:2023 की सिविल अपील No.3339।2020 के डब्ल्यू. पी. सी. सं030620 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय के दिनांकित 17.12.2020 के निर्णय और आदेश से।

रूप:

अपीलार्थियों की ओर से अमन लेखी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हरीश पांडे, अधिवक्ता।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., कर्नल आर. बाला, वरिष्ठ अधिवक्ता, नरेश कुमार, गुरमीत सिंह मक्कर, कानू अग्रवाल, कुश चतुर्वेदी, केतन पॉल, माधव सिंहल, डॉ. अरुण कुमार यादव, योगेश कुमार माहूर, हरकेश पराशर, रोनाक करणपुरिया, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

जे. बी. पारदीवाला, जे.

1. विशेष अवकाश द्वारा यह अपील केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (सी. सी. आर. ए. एस.), आयुर्वेद मंत्रालय, योग 737 के कहने पर की गई है।

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्तन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 738

और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष), भारत सरकार (अपीलार्थी संख्या 1) और इसके महानिदेशक (अपीलार्थी संख्या 2)। हमारे सामने दो अपीलार्थी उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष मूल प्रतिवादी थे। यह अपील ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक द्वारा डब्ल्यू. पी. में पारित 17.12.2020 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित है। (ग) 2020 का सं. 30620 जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), कटक पीठ, कटक द्वारा पारित आदेश को दरकिनार करते हुए हमारे समक्ष मूल याचिकाकर्ता (प्रतिवादी सं. 1) के नेतृत्व में रिट आवेदन को मंजूरी दी और इस प्रकार यह अभिनिर्धारित किया कि प्रतिवादी सं. 1, अर्थात् डॉ. बीकार्तन दास, आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले आयुष डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लाभ के हकदार हैं।

तथ्यात्मक मैट्रिक्स

2. इसमें प्रतिवादी संख्या 1 को परिषद द्वारा एक शोध सहायक डब्ल्यू. ई. एफ. 07.10.1985 के रूप में नियुक्त किया गया था। 1985 का सरकारी आदेश संख्या 183 दिनांकित 11.10.1985 इस प्रकार है:

“नहीं। P.1-67/86-CRIA/DDSR/Estt।/748(5) डीटी 11.10.85 कार्यालय आदेश सं. 183/85

डॉ. बीकार्तन दास को 7 अक्टूबर, 1985 की पूर्व संध्या से केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (ए. वाई.), इकाई, भुवनेश्वर-9 में अगले आदेश तक प्रभावी अनुसंधान सहायक (ए. वाई.) के रूप में नियुक्त किया जाता है। वह इस तारीख से दो साल की अवधि के लिए परीक्षा पर होगा। वह रुपये का मूल वेतन प्राप्त करेगा। 425/- रुपये के पैमाने पर प्रति माह। 425-15-500 PB-15-560-20-700 नियमों के तहत स्वीकार्य सामान्य भत्ते के साथ।

(डॉ. प्रेम किशोर) सहायक निदेशक (ए. वाई.) आई/सी "

3. भारत सरकार ने अपने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में परिषद को संबोधित पत्र के माध्यम से विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार डब्ल्यू. ई. एफ. परिषद के कर्मचारियों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लाभ को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के परिषद के निर्णय को मंजूरी दी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डी. ओ. पी. टी.) द्वारा ओ. एम. सं. 25012/8/98-ए. एस. टी.(ए) दिनांकित 13.05.1998।

4. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष मंत्रालय (इसमें प्रतिवादी संख्या 2) और केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (संक्षेप में, 'सी. जी. एच. एस.') अस्पतालों में काम करने वाले आयुष डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

5. आयुष मंत्रालय ने दिनांक 1 के पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया कि उपरोक्त उल्लिखित मंत्रिमंडल के निर्णय का प्रभाव केवल आयुष मंत्रालय के तहत और सी. जी. एच. एस. अस्पतालों में सीधे काम करने वाले आयुष डॉक्टरों पर लागू होगा। यह स्पष्ट किया गया कि सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले स्वायत्त निकायों पर लागू नहीं होगा। आयुष मंत्रालय द्वारा महानिदेशक, सी. सी. आर. ए. एस. और सी. सी. आर. यू. एम. को संबोधित 31.10.2017 दिनांकित पत्र इस प्रकार है:

“

एफ. टी. एस. सं. 32797/2017

आयुर्वेदिक, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय (आयुष)

(रिसर्च डेस्क)

‘बी’ ब्लॉक, जी. पी. ओ. कॉम्प्लेक्स, आयुष भवन, आई. एन. ए. मार्केट के पीछे, नई दिल्ली-110023

तारीख: 31 सेंट अक्टूबर, 2017

सेवा में

महानिदेशक,

सीसीआरएएस और सीसीआरयूएम

61-65, संस्थागत क्षेत्र, "डी" ब्लॉक के सामने,

जनकपुरी, नई दिल्ली-110058।

विषय: सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करना। साहब,

मुझे यह कहने का निर्देश दिया गया है कि मंत्रालय को 739 के संबंध में परिषदों के विभिन्न अधिकारियों से कई अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.]

सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करना। यह कहा गया है कि पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित निर्णय लिया है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

“संबंधित मंत्रालय/विभाग [आयुष मंत्रालय (आयुष डॉक्टर), रक्षा विभाग (सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के तहत नागरिक डॉक्टर), रक्षा उत्पादन विभाग (भारतीय आयुध कारखाने स्वास्थ्य सेवा चिकित्सा कार्यालय), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के तहत दंत चिकित्सक, रेल मंत्रालय के तहत दंत चिकित्सक और उच्च शिक्षा विभाग के तहत उच्च शिक्षा और तकनीकी संस्थानों में काम करने वाले डॉक्टरों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई है।

2. मंत्रिमंडल का निर्णय सीधे आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण यानी सी. जी. एच. एस. के तहत काम करने वाले आयुष डॉक्टरों पर लागू होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्णय आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले स्वायत्त निकायों यानी अनुसंधान परिषदों/राष्ट्रीय संस्थानों पर लागू नहीं होता है।

3. इसलिए ऐसे सभी अभ्यावेदन संबंधित परिषदों को भेजे जा रहे हैं। यह अनुरोध किया जाता है कि परिषदें उन्हें तदनुसार सूचित कर सकें। आपकी वफादारी से,

एन. के. लखनपाल

वरिष्ठ सलाहकार "

6. दिनांक 2 के आदेश द्वारा, आयुष मंत्रालय ने आयुष मंत्रालय और सी. जी. एच. एस. अस्पतालों डब्ल्यू. ई. एफ. में काम करने वाले आयुष डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी है। दिनांकित 24.11.2017 आदेश इस प्रकार है:

“

एफ. एन. ओ. D.14019/4/2016-E-I (आयुष) भारत सरकार

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी मंत्रालय

आयुष भवन,

‘बी’ ब्लॉक, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, 740 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

आई. एन. ए., नई दिल्ली-110023 दिनांक, 24 नवंबर, 2017। आदेश

राष्ट्रपति ने आयुष मंत्रालय के तहत और सी. जी. एच. एस. औषधालयों/अस्पतालों में काम करने वाले आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को 27.09.2017, यानी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी की तारीख से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है।

2. डॉक्टर केवल 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक प्रशासनिक पदों पर रहेंगे और उसके बाद उनकी सेवाओं को गैर-प्रशासनिक पदों पर रखा जाएगा।

(रोशन जग्गी) भारत सरकार के संयुक्त सचिव Tel.24651953 "

7. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, डी. ओ. पी. टी. ने दिनांक 1 की अधिसूचना द्वारा मौलिक (संशोधन) नियम, 2018 को अधिसूचित किया, जिसके तहत मौलिक नियम, 1922 (एफ. आर.) में नियम 56 (बी. बी.) को प्रतिस्थापित किया गया और आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया गया। अधिसूचना इस प्रकार है:

“व्यक्ति, सार्वजनिक शोक और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2018

जीएसआर 27 (ई)।—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति इसके द्वारा मौलिक नियम, 1922 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

(1) इन नियमों को मौलिक (संशोधन) नियम, 2018 कहा जा सकता है।

(2) मौलिक नियम, 1922 में, नियम 56 में, खंड (बी. बी.) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

— 741

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 742 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

“(ख. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के शिक्षण, गैर-शिक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य उप-संवर्गों में शामिल सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी और विशेषज्ञ, आयुष डॉक्टर, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा महानिदेशालय के तहत नागरिक डॉक्टर, भारतीय आयुध कारखाने स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने वाले दंत चिकित्सक, भारतीय रेलवे चिकित्सा सेवा के डॉक्टर और रेल मंत्रालय के तहत दंत चिकित्सक, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम रिफिल के सामान्य कर्तव्य चिकित्सा अधिकारी उप-संवर्ग के डॉक्टर और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम रिफिल के विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारी के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष होगी।

बशर्ते कि किसी अन्य नियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम रिफिल को छोड़कर उपरोक्त डॉक्टर बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने की तारीख तक प्रशासनिक पदों पर रहेंगे और उसके बाद उनकी सेवाओं को गैर-प्रशासनिक पदों पर रखा जाएगा।”

[F.No.25012/4/2016-Estt(ए-IV)] ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी, जे. टी. सिकरी।”

8. दिनांक 25.01.2018 के पत्र द्वारा, अपीलार्थी परिषद ने उपरोक्त पैरा 5 में निर्दिष्ट दिनांक 31.10.2017 के आयुष मंत्रालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण पत्र को प्रसारित किया। पत्र इस प्रकार है:

“एफ 3-8/2017-सी. सी. आर. ए. एस./विग/3094

तारीख: 25 जेएन 2018

सेवा में

इस परिषद के तहत कार्य करने वाले संस्थानों/केंद्रों/इकाइयों के सभी प्रमुख।

उप:- 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु में वृद्धि। सर/मैडम।

अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को निर्देश दिया जाता है कि वह आयुष मंत्रालय से प्राप्त उपरोक्त विषय पर स्पष्टीकरण को जानकारी के लिए एफ. टी. एस. No.32797/2017 दिनांक 31.10.2017 पत्र के माध्यम से प्रसारित करे। मंत्रालय के पत्र की सामग्री आपके नियंत्रण में काम करने वाले सभी अधिकारियों के बीच वितरित की जा सकती है।

आपकी वफादारी

(एस. बी. मिश्रा) महानिदेशक के लिए प्रशासनिक कार्यालय (सतर्कता) "

यह ध्यान देने योग्य है कि ऊपर उल्लिखित अपीलार्थी परिषद द्वारा दिनांक 1-1-को जारी किए गए पत्र को कभी भी चुनौती का विषय नहीं बनाया गया था।

9. प्रतिवादी संख्या 1 ने इसमें अपीलार्थी संख्या 2 को संबोधित एक अभ्यावेदन को प्राथमिकता दी जिसमें उसकी सेवानिवृत्ति की आयु को 30.04.2018 के बजाय 65 वर्ष यानी 30.04.2023 तक बढ़ाने की अपील की गई थी। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त से पहले प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया गया था और परिषद द्वारा दिनांकित एक अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें कहा गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने पर डब्ल्यू. ई. एफ. 30.04.2018 को सेवानिवृत्त कर देगा। 04.04.2018 दिनांकित अधिसूचना इस प्रकार है:

"एफ. नं. 26-3/2018-C.C.R.A.S./एस्ट। 17.

तारीख: 04.04.2018

अधिसूचना कैशन

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि

सेंट्रल आयुर्वेदिक रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर हेपेटोबिलियरी डिसऑर्डर, भुवनेश्वर के सहायक निदेशक (आयुष) डॉ. बीकार्तन दास 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति प्राप्त करने के बाद परिषद की सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जन्म तिथि 04.04.1958 है।

तदनुसार, उनका नाम C.C.R.A.S की सूची से हटा दिया जाएगा। अंग्रेजी में हस्ताक्षर अवैध आर. के. अहलूवालिया

दिनांक 27.03.2018 Dy. महानिदेशक के माध्यम से निदेशक (प्रशासन) "

743

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्तन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 744 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

10. प्रतिवादी संख्या 1 ने उपरोक्त से असंतुष्ट होने के कारण 2018 के मूल आवेदन संख्या 210 के माध्यम से कैट, कटक बेंच, कटक के समक्ष गया और निम्नलिखित राहतों के लिए प्रार्थना की:

"माननीय न्यायाधिकरण मूल आवेदन को स्वीकार करने, अभिलेखों के लिए बुलाने और प्रत्यर्थियों को नोटिस जारी करने और पक्षों को सुनने पर आयुष मंत्रालय के विवादित स्पष्टीकरण पत्र की घोषणा करने के लिए प्रसन्न हो सकता है। 31.10.2017 जैसा कि अनुलग्नक-4 श्रृंखला और पत्र डी. टी. डी. के तहत है। 04.04.2018 अनुलग्नक 3 के तहत आवेदक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 30.04.2018 पर सेवानिवृत्त होने का निर्देश देना, अवैध, मनमाना अनुचित और भेदभावपूर्ण होना और उसे रद्द करना और प्रतिवादी को संशोधित नियमों के अनुसार आवेदक को 65 वर्ष तक सेवा में बने रहने की अनुमति देने का निर्देश देना।

x

x

x

मूल आवेदन को अंतिम रूप दिए जाने तक, आवेदक अनुलग्नक-3 के तहत आदेश पर रोक लगाने और आवेदक को सेवा में बने रहने की अनुमति देने की प्रार्थना करता है।"

11. तथापि, दिनांक 17.04.2018 के आदेश द्वारा जारी किए गए नोटिस में कैट ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया, जैसा कि प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अनुरोध किया गया था। चूंकि कैट ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और प्रतिवादी नंबर 1 को 30.04.2018 पर सेवानिवृत्त होना था, इसलिए वह ओडिशा उच्च न्यायालय, कटक के समक्ष एफ. आई. लिंग डब्ल्यू. पी. द्वारा गए। (ग) कैट द्वारा पारित आदेश पर सवाल उठाते हुए 2018 की सं. 6663 में कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिनांक 25.04.2018 पारित किया:

"एस. आई. आदेश की संख्या-03

आदेश की तिथि-25.04.2018 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री बी. सेनापति और श्री बोस, विद्वान सहायक। सॉलिसिटर जनरल।

इस रिट याचिका का नेतृत्व याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक पीठ, कटक द्वारा ओ. ए. सं. <आई. डी. 2 में पारित दिनांक 17.04.2018 के आदेश को चुनौती देते हुए किया है, जिसमें न्यायाधिकरण ने नोटिस जारी करते हुए विरोधी पक्षों को अंतरिम प्रार्थनाओं और नियमित काउंटर पर अपना जवाब देने का निर्देश दिया था।

ऐसा प्रतीत होता है कि केंद्र सरकार ने आयुष मंत्रालय के तहत डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। हालांकि, जहाँ तक याचिकाकर्ता का संबंध है, चूंकि उसे सेवानिवृत्ति का नोटिस जारी किया गया था, इसलिए उसने न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया है। चूंकि मूल आवेदन न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित है, इसलिए मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, हम इस रिट याचिका का निपटारा इस टिप्पणी के साथ करते हैं कि चूंकि डॉक्टर 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 65 वर्ष की आयु जारी रखने के बाद भी इसी तरह से हैं, इसलिए याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने दें और अनुलग्नक-3 के तहत सेवानिवृत्ति की सूचना मूल आवेदन के निपटारे तक रोक दी जाएगी।

श्री बोस, विद्वान सहायक सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि केंद्र सरकार आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर न्यायाधिकरण के समक्ष अपना प्रतिवाद प्रस्तुत करेगी, ऐसी स्थिति में न्यायाधिकरण मूल आवेदन का जल्द से जल्द, अधिमानतः जून, 2018 के अंत तक निपटारा कर सकता है। तदनुसार, हम अनुरोध करते हैं कि न्यायाधिकरण मूल आवेदन का जल्द से जल्द/अपनी अनुसूची के अनुसार निपटारा कर सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता किसी भी इक्विटी का दावा नहीं करेगा।

एस. डी.-एस. पांडा, जे.

Sd.-K.R. महापात्रा "

12. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने कैट द्वारा मूल आवेदन के निपटारे तक प्रतिवादी संख्या 1 की रक्षा की। उपरोक्त आदेश के आधार पर, प्रत्यर्थी संख्या 1 ने 30.04.2018 के बाद भी सेवा जारी रखी।

13. सी. ए. टी. ने अंततः प्रतिवादी संख्या 1 के नेतृत्व में मूल आवेदन पर निर्णय लिया और अपने दिनांकित 02.11.2020 के आदेश के माध्यम से उसी धारणा को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी संख्या 1 सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में आयुष डॉक्टरों के साथ समानता की मांग करने का हकदार नहीं है।

14. सी. ए. टी. द्वारा अभिलिखित अभिलेखों के योग और सार को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है:

(i) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत अधिसूचित मौलिक नियम सीधे भारत सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होते हैं। परिषद के कर्मचारियों के लिए इसकी प्रयोज्यता उपनियमों के क्रमशः खंड 34 और 35 के कारण है। यह 745

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 746

इस मुद्दे पर कैट की हैदराबाद पीठ द्वारा दिनांकित 04.09.2020 आदेश के माध्यम से विचार किया गया था, जिसमें यह देखा गया था कि -

“उप-कानून का खंड 34 यह स्पष्ट करता है कि शासी निकाय को वृद्धि के संबंध में निर्णय लेना है

सेवानिवृत्ति की आयु। शासी निकाय को आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के संदर्भ में निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसने यह स्पष्ट कर दिया है कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि सी. सी. आर. ए. एस. जैसे स्वायत्त निकाय पर लागू नहीं होती है। इसलिए,

सेवानिवृत्ति की आयु को सी. सी. आर. ए. एस. तक नहीं बढ़ाने का जी. ओ. आई. नियम उपनियमों के खंड 35 और 47 का पूरक है। हम उप कानूनों के संदर्भ में उत्तरदाताओं द्वारा लिए गए निर्णय में कोई त्रुटि नहीं करते हैं।”

(जोर दिया गया) (ii) कैट ने प्रतिवादी संख्या 1 के खंड 35 के तर्क को स्वीकार नहीं किया और मौलिक नियमों को परिषद के कर्मचारियों पर यह कहते हुए लागू किया कि यह खंड परिषद के कर्मचारियों पर एफ. आर., पूरक नियम (एस. आर.) और सामान्य वित्तीय नियमों (जी. एफ. आर.) की सामान्य प्रयोज्यता से संबंधित है। यह परिषद के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले खंड 34 के विनिर्दिष्ट प्रावधान सी के अधीन है। उपनियमों के खंड 35 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में खंड 34 पर प्रभावी हो।

(iii) उपनियमों के खंड 47 में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन मामलों के लिए उपनियमों में निर्दिष्ट रूप से प्रावधान नहीं किया गया है, सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम लागू होंगे। लेकिन चूंकि खंड 34 में सेवानिवृत्ति के संबंध में एक विशिष्ट सी प्रावधान है, इसलिए सेवानिवृत्ति के संबंध में सरकारी कर्मचारियों को नियंत्रित करने वाले नियम परिषद के कर्मचारियों पर तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि यह उपनियमों के खंड 34 के अनुसार न हो।

(iv) मंत्रिमंडल के प्रस्ताव और संशोधित एफ. आर.-56 (बी. बी.) में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि ये निर्णय स्वायत्त संस्थानों के कर्मचारियों पर लागू होते हैं। प्रत्यर्थी संख्या 1 की यह धारणा कि एफ. आर.-56, समय-समय पर संशोधित, परिषद के कर्मचारियों पर स्वतः लागू होती है, सही नहीं है क्योंकि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

यह उपनियमों के क्रमशः खंड 34 और 35 के प्रावधानों के अधीन है।

(v) 31.10.2017 दिनांकित स्पष्टीकरण पत्र में कुछ भी गलत नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता है कि यह विचाराधीन मंत्रिमंडल के निर्णय को ओवरराइड कर रहा है, और उस आधार पर पत्र पर आपत्ति टिकाऊ नहीं है। एफ. आर.-56 में प्रथम संशोधन जारी करने के बाद, परिषद द्वारा अपने अधिकारियों के बीच एक बाद के पत्र दिनांक 25.01.2018 द्वारा स्पष्टीकरण पत्र वितरित किया गया था। इसका तात्पर्य यह है कि परिषद, जो प्रत्यर्थी संख्या 1 की नियोक्ता है, ने जानबूझकर मंत्रालय के स्पष्टीकरण को स्वीकार किया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने परिषद के दिनांकित 25.01.2018 पत्र को चुनौती नहीं दी थी, बल्कि केवल आयुष मंत्रालय के दिनांकित पत्र को चुनौती दी थी। 31.10.2017.

(vi) प्रत्यर्थी संख्या 1 के अभिवचनों में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि संशोधित एफ. आर.-56 (बी. बी.) परिषद के कर्मचारियों पर लागू होता है, सिवाय उपनियमों के प्रावधानों का हवाला देने के। उपनियमों के खंड 34 के अनुसार, सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे जैसा कि शासी निकाय द्वारा अपनाया गया है। इसका मतलब है कि जब तक शासी निकाय सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के लिए नियमों में बदलाव को नहीं अपनाता है, तब तक ऐसे बदलाव परिषद के कर्मचारियों पर स्वतः लागू नहीं होते हैं।

(vii) कैट ने (2008) 2 एस. सी. सी. 672 में रिपोर्ट की गई डी. डी. ए. बनाम एस. एफ. एस. फ्लैटों की संयुक्त कार्रवाई समिति के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि कुछ विशिष्ट आधार हैं जिन पर एक नीतिगत निर्णय की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और इस स्थिति में दिनांकित 31.10.2017 के स्पष्टीकरण पत्र के अनुसार आयुष मंत्रालय के नीतिगत निर्णय को चुनौती देने के लिए कोई वैध आधार नहीं था। (viii) अंत में, कैट ने विचार किया कि भले ही प्रतिवादी नंबर 1 के इस तर्क को स्वीकार किया जाना था कि उसने रोगियों का इलाज किया था, इस तरह की स्वीकृति ने आयुष मंत्रालय द्वारा अपने स्पष्टीकरण पत्र दिनांक 31.01.2017 में लिए गए निर्णय को नकार नहीं सकता था, जिसे परिषद ने अपने बाद के

पत्र दिनांक 25.01.2018 में स्वीकार किया था। 15. कैट द्वारा पारित उपरोक्त आदेश से असंतुष्ट महसूस करने वाले प्रत्यर्थी संख्या 1 ने डब्ल्यू. पी. (सी) में उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती दी।

747

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 748 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

2020 का सं. 30,620। उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 के नेतृत्व में रिट आवेदन को निम्नानुसार अनुमति दी:

“उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स के विश्लेषण पर, हमें पता चलता है कि हालांकि याचिकाकर्ता अनुसंधान परिषद/राष्ट्रीय संस्थान के तहत शोधकर्ता के रूप में काम कर रहा है, लेकिन अनुसंधान कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता के रूप में, वह ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. में रोगियों का इलाज करता है। वास्तव में, वह आयुष डॉक्टर की तरह ही कर्तव्यों का पालन करते हैं। हालांकि उसकी सेवा की स्थिति अलग-अलग कानूनों द्वारा कवर की गई है, लेकिन सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए, याचिकाकर्ता एक डॉक्टर की तरह काम कर रहा है। हालांकि आयुष डॉक्टर और याचिकाकर्ता के बीच एक स्पष्ट अंतर है। याचिकाकर्ता यहां नियमित रूप से ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. में आयुष डॉक्टरों जैसे रोगियों का भी इलाज कर रहा है।

उपनियमों के खंड-34 और 35 याचिकाकर्ता के तर्क के बल को आयुष डॉक्टर के रूप में माने जाने के लिए बढ़ाते हैं, भले ही उसे शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो।

उक्त उपनियमों के खंड-34 और 35 अधिवर्षिता से संबंधित हैं जो निम्नानुसार हैं:

“34. समय-समय पर संशोधित या शासी निकाय द्वारा वांछित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे। बशर्ते कि एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकता है यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम और कुशल बना रहता है और उसे सेवा में बनाए रखना केंद्रीय परिषद के हित में है।

35. समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के मौलिक और पूरक नियम और सामान्य वित्तीय नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर उत्प्रेरित रूप से लागू होंगे।”

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारी राय है कि विद्वत न्यायाधिकरण द्वारा अपने दिनांकित 02.11.2020 निर्णय के माध्यम से लिया गया दृष्टिकोण गलत है।

विद्वान कैट, कटक पीठ, कटक ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. रोगियों के इलाज में याचिकाकर्ता के कर्तव्य और समर्पण पर विचार करने में विफल रही है।

इसलिए, विद्वान कैट, कटक बेंच, कटक द्वारा पारित 02.11.2020 दिनांकित आदेश को रद्द किया जा सकता है और तदनुसार, इसे रद्द कर दिया जाता है।”

(जोर दिया गया) 16. इस प्रकार, ऊपर निर्दिष्ट उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश को सीधे पढ़ने से यह संकेत मिलता है कि उच्च न्यायालय के साथ जो बात भारी पड़ी वह यह थी कि प्रतिवादी नंबर 1 नियमित रूप से बाह्य रोगी विभागों (ओ. पी. डी.) और रोगी विभागों (आई. पी. डी.) में आयुष डॉक्टरों जैसे रोगियों का इलाज करता था और प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. रोगियों के इलाज में प्रदर्शित कर्तव्य और निष्ठा उसे सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु यानी 65 वर्ष तक के लाभ का दावा करने का अधिकार देगी। उच्च न्यायालय ने यह स्वीकार करने के बावजूद कि प्रतिवादी संख्या 1 को अनुसंधान परिषद के तहत एक शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी सेवा की शर्तें अलग-अलग कानूनों द्वारा शासित थीं, उक्त आदेश को दर्ज किया। बेशक, उच्च न्यायालय ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को राहत देते हुए उपनियमों के खंड 34 और 35 का भी समर्थन लिया।

17. ऊपर उल्लिखित ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष हैं।

अपीलार्थियों के स्वयं के बारे में सुझाव

18. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अमन लेखी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। वर्तमान मामले में शामिल मुद्दा एफ. आर. 56 (बी. बी.) के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु में विस्तार की मांग करने की पात्रता और अपीलार्थी परिषद के लिए इसकी प्रयोज्यता है जो एक स्वायत्त निकाय है। उक्त एफ. आर. में समय-समय पर संशोधन किया गया है और वर्तमान मामले में लागू नियम अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 की सेवानिवृत्ति के समय 05.01.2018 का है।

बी। प्रत्यर्थी संख्या 1 सी. सी. आर. ए. एस. का एक कर्मचारी था जो अनुसंधान सहायक के रूप में शामिल हुआ था और उसकी सेवा की शर्तें सी. सी. आर. ए. एस. के नियमों के तहत शासित थीं। इसके बाद, उन्हें अनुसंधान कार्यालय के पद पर पदोन्नत किया गया और सेवानिवृत्ति के समय वे सहायक निदेशक के पद पर थे।

749

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 750

ग. सी. सी. आर. ए. एस. के प्रासंगिक खंड जो वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू होते हैं, वे सी. सी. आर. ए. एस. उप-कानूनों के खंड 25 (बी), 34, 35 और 47 हैं जो सुविधा के लिए यहां निकाले गए हैं:

“नियुक्तियाँ

25.(ए)।

(ख) सभी पदों पर भर्ती, नियुक्तियाँ और पदोन्नति पदों के लिए शासी निकाय या नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी। चयन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से विधिवत गठित चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

सेवानिवृत्ति

34. समय-समय पर संशोधित या शासी निकाय द्वारा वांछित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे। बशर्ते कि एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकता है यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम और कुशल बना रहता है और उसे सेवा में बनाए रखना केंद्रीय परिषद के हित में है। 35. समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के मौलिक और पूरक नियम और सामान्य वित्तीय नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगे।

एक्सएक्सएक्स

XXX

XXX

सेवा की अन्य शर्तें

47. इन विनियमों में जिन मामलों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, उनके संबंध में सेवा, वेतन, भत्ते टी. ए. और दैनिक भत्ते, विदेशी सेवा की शर्तें, भारत और विदेशों में प्रतिनियुक्ति आदि की सामान्य शर्तों के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश और निर्णय केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगे।”

(बल दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

घ. उपरोक्त नियमों के केवल अवलोकन से संकेत मिलता है कि कर्मचारियों की भर्ती परिषद की चयन समिति के माध्यम से की जाती है और एफ. आर. सीधे तौर पर लागू नहीं होंगे जहां शासी निकाय सेवानिवृत्ति के नियमों को लागू करता है।

ई. खंड 34 के संदर्भ में, शासी निकाय ने 01.12.1998 पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया था। उक्त निर्णय की अनुसमर्थन सी. सी. आर. ए. एस. के शासी निकाय की 14 वीं बैठक में कार्यसूची मद सं. जीबी 14.4।

एफ. उपरोक्त रूप में शासी निकाय का निर्णय 30.04.2018 यानी प्रत्यर्थी की सेवानिवृत्ति की तारीख पर लागू होता है।

जी. प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने अभ्यावेदन में शासी निकाय के उपरोक्त निर्णय का कोई संदर्भ नहीं दिया गया है। वास्तव में, प्रत्यर्थी ने उपनियमों के खंड 34 पर भरोसा किया जो इसकी शर्तों पर इंगित करता है कि भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम तत्काल मामले में लागू नहीं होंगे।

एच. सलमा खातून के मामले में प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा अपने अभ्यावेदन में रखी गई निर्भरता समान रूप से अयोग्य है क्योंकि उक्त मामले में प्रासंगिक नियम यहाँ उप-कानूनों के खंड 34 से अलग था। उक्त मामला केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद ('सी. सी. आर. यू. एम.') से संबंधित है जो अपने स्वयं के नियमों और विनियमों द्वारा शासित है और उस मामले में लागू नियम को अलग-अलग शब्दों में लिखा गया था। इसके अलावा, उक्त मामला अभी भी दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। सलमा खातून के पक्ष में अंतरिम आदेश इस अदालत द्वारा खाली कर दिया गया था।

यूनानी चिकित्सा में केंद्रीय अनुसंधान परिषद बनाम डॉ. सलमा का मामला

खातून और अन्य ने 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 1332 के रूप में रिपोर्ट किया। आई. केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, कटक पीठ ('कैट') ने ठीक ही अभिनिर्धारित किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की यह धारणा कि एफ. आर. 56 स्वतः ही लागू हो जाता है, सही नहीं है क्योंकि यह सी. सी. आर. ए. एस. के उपनियमों के खंड 34 के अधीन है।

जे. उड़ीसा के उच्च न्यायालय के समक्ष उनके नेतृत्व में काउंटर एफ्री डेविट फ्राई में अपीलकर्ताओं द्वारा उपरोक्त आधारों का ही आग्रह किया गया था।

751

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 752

के. विवादित आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय स्वीकार करता है कि प्रतिवादी संख्या 1 एक शोधकर्ता के रूप में काम कर रहा था और उसकी सेवा की शर्तें एक अलग खंड द्वारा कवर की गई थीं। हालांकि, आश्चर्यजनक रूप से, उच्च न्यायालय उप-कानूनों के खंड 34 का कोई संदर्भ नहीं देता है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि अपीलकर्ताओं ने स्पष्ट रूप से अनुरोध किया था कि प्रतिवादी खंड 34 के संदर्भ में राहत का हकदार नहीं था और एफआर 56 उस पर लागू नहीं था। उल्लेखनीय है कि यह निवेदन स्वयं उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया है और साथ ही 31.10.2017 का स्पष्टीकरण और भर्ती की अलग विधि भी दर्ज की गई है। विवादित आदेश पारित करते समय इन कारकों पर विचार नहीं किया गया था।

I. उच्च न्यायालय का विवादित आदेश टिकाऊ नहीं है क्योंकि यह कानून के निम्नलिखित तय किए गए प्रस्तावों के खिलाफ है:

(i) एक संवैधानिक न्यायालय भी किसी कर्मचारी की मौजूदा सेवा शर्तों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है। वी. एम. गद्रे बनाम एम. जी. दीवान और अन्य, (1996) पृष्ठ 459 पर 3 एस. सी. सी. 454 पैरा 10।

((ii) किसी विशेष तरीके से नीति तैयार करने के लिए अनिवार्य प्रकृति का रिट जारी नहीं किया जा सकता है। जनगणना आयुक्त और अन्य बनाम आर. कृष्णमूर्ति, (2015) पृष्ठ 806-807 पर 2 SCC 796 पैरा 25-26।

((iii) न्यायालय राज्य के साधनों पर मौद्रिक दायित्व को तब तक नहीं बढ़ा सकता जब तक कि यह अधिकारों और देनदारियों से नहीं निकलता है।

लिस में ही प्रचार किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य बनाम राजेश चंदर सूद और अन्य, (2016) 10 एससीसी 77 पैरा

88 पृष्ठ 160 पर।

((iv) स्वायत्त निकायों के कर्मचारी अपने स्वयं के नियमों और उपनियमों द्वारा शासित होते हैं और वे उनके साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।

सरकारी कर्मचारी। टी. एम. संपत और अन्य बनाम सचिव, जल संसाधन और अन्य मंत्रालय, (2015) 5 एससीसी 333

पृष्ठ 336 पर पैरा 3 और पृष्ठ 345 पर पैरा 15; महाराष्ट्र राज्य

और एक अन्य बनाम भगवान और अन्य, (2022) 4 एस. सी. सी. 193 पैरा

24-26 पृष्ठ 203-204 पर।

एम. के निर्णय पर प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा रखी गई निर्भरता

यह न्यायालय उत्तरी दिल्ली नगर निगम बनाम डॉ. राम नरेश

2021 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 540 में रिपोर्ट किए गए शर्मा और अन्य पूरी तरह से

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

गलत जगह पर रखा गया। उक्त मामले में मुद्दा एन. डी. एम. सी. के आयुष और सी. एच. एस. डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने की अलग-अलग तिथियों से संबंधित था। उक्त मामले में, आयुष डॉक्टरों के लिए एन. डी. एम. सी. द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने के नीतिगत निर्णय को अपनाया गया था, लेकिन इसे बाद की तारीख से लागू किया गया था जो भेदभावपूर्ण पाया गया था। जबकि, वर्तमान मामले में अपीलकर्ता अपने स्वयं के सेवा नियमों के साथ एक स्वायत्त निकाय है और सरकारी निर्णय को कभी भी शासी निकाय द्वारा किसी भी समय नहीं अपनाया गया था।

एन. 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के संदर्भ में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान ('आईटीआरए') के निदेशक की नियुक्ति का संदर्भ पूरी तरह से गलत है। आई. टी. आर. ए. में नियुक्तियां आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2020 के प्रावधानों के अनुसार की जाती हैं। अधिनियम, 2020 की धारा 5 (ई) में निदेशक के कार्यकाल के लिए 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, का प्रावधान है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 1 जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आता है, वह आई. टी. आर. ए. के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता है।

स्वयं के बारे में प्रस्तुतियाँ नं. 1.

19. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री कर्नल आर. बालासुब्रमण्यम ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ए। उनके मुवक्किल एक आयुष डॉक्टर हैं जो आयुर्वेदिक चिकित्सा और शल्य चिकित्सा स्नातक (बीएएमएस) में पूरी तरह से और विधिवत योग्य हैं। यह तथ्य कि उसका मुवक्किल एक आयुष डॉक्टर है, अपीलार्थियों द्वारा कैट के समक्ष अपने जवाबी हलफनामे में भर्ती किया जाता है। मौजूदा नियम के अनुसार, जिन लोगों ने भारतीय विश्वविद्यालय से बीएएमएस पूरा किया है, जो केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद (सीसीआईएम) द्वारा मान्यता प्राप्त है और जिन्होंने किसी भी भारतीय चिकित्सा परिषद या सीसीआईएम, नई दिल्ली के तहत पंजीकरण किया है, वे आयुष डॉक्टर हैं। आयुष ने अपने आर. टी. आई. जवाब में भी यह स्वीकार किया है।

बी। एक विधिवत योग्य आयुष चिकित्सक होने के नाते, प्रतिवादी संख्या 1 को आयुष मंत्रालय के नियंत्रण में केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (आयुर्वेद), भुवनेश्वर में एक शोध सहयोगी के रूप में नियुक्त किया गया था। शर्तें 753

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 754

नियुक्ति के अनुच्छेद 2 (vi) और (vii) में विनिर्दिष्ट रूप से कहा गया है कि "निजी या परामर्श सेवा सख्ती से निषिद्ध है" और "सेवा के अन्य नियम और शर्तें क्रमशः भारत सरकार के तहत समान कर्मियों पर लागू नियमों और निर्देशों द्वारा शासित होंगी"। इसके अलावा यह कहा गया कि वेतन और महंगाई भत्ते आदि केंद्र सरकार के समकक्ष दर्जे के कर्मचारियों पर लागू होंगे और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सी. सी. एस. नियमों द्वारा शासित होंगे।

सी। यह तथ्य कि जिस संस्थान में प्रत्यर्थी संख्या 1 सेवारत था, वह सरकार/मंत्रालय के 'व्यापक नियंत्रण' में है, अपीलार्थियों द्वारा कैट के समक्ष और उच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट में भी स्वीकार किया जाता है। इसलिए, दो तथ्यात्मक

पहलुओं को स्वीकार किया जाता है और यह किसी भी संदेह से परे है कि (i) प्रतिवादी संख्या 1 एक आयुष डॉक्टर है और (ii) संस्थान आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

घ. उपरोक्त स्वीकृत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, यह विशेष रूप से अपीलार्थियों के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय से स्पष्ट है कि भारत सरकार ने सेवानिवृत्ति की आयु को 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने की मंजूरी दी थी। मंत्रिमंडल का यह निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 1 पर लागू था। उक्त निर्णय के संदर्भ में "3. संबंधित मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण में डॉक्टरों के संबंध में सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई है।

विभाग [आयुष मंत्रालय (आयुष डॉक्टर,... "]

मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के मामले में आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करने वाले आयुष डॉक्टरों के बीच उपचार में कोई अंतर या अंतर नहीं किया है। यह दोहराया जाता है कि 65 वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का लाभ उठाने के लिए केवल दो शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता है, (i) आयुष डॉक्टर और (ii) मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में होना। इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 पूरी तरह से मंत्रिमंडल के निर्णय के दायरे में आता है और 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का हकदार है।

च. तदनुसार, मौलिक नियम, 1922 का नियम 56 (बीबी), जो संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत बनाया गया एक वैधानिक नियम है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

भारत के संविधान में 05 जनवरी, 2018 की राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से संशोधन किया गया था, जिसके अनुसार अन्य बातों के साथ-साथ आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु [संशोधित नियम (बीबी) की तीसरी पंक्ति 65 वर्ष होगी। इसे राजपत्र अधिसूचना दिनांक 1 के माध्यम से और संशोधित किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि आयुष सहित विभिन्न संवर्गों से संबंधित और आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष होगी जब तक कि वे शिक्षण, परामर्श आदि में बने रहने का विकल्प नहीं चुनते हैं, इस मामले में यह 65 वर्ष तक बढ़ेगी। इसलिए, दूसरे राजपत्र में भी आयुष मंत्रालय के तहत काम करने वाले सभी आयुष डॉक्टरों को बिना किसी भेदभाव के शामिल किया गया था, चाहे वे मंत्रालय में काम कर रहे हों या किसी स्वायत्त निकाय में।

जी। मंत्रिमंडल के फैसले के विपरीत, प्रतिवादी संख्या 1 जैसे स्वायत्त निकायों में काम करने वाले आयुष डॉक्टरों की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने से इनकार करते हुए दिनांकित आईडी 1 का विवादित पत्र जारी किया गया था। उक्त पत्र का पैरा 2 अन्य कारणों के अलावा निम्नलिखित कारणों से कानून और तथ्यों पर टिकाऊ नहीं है:- प.व. 98 का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

आई. कि यह निर्णय एक कैबिनेट निर्णय था और इसे एक अधीनस्थ पदाधिकारी के विवादित पत्र द्वारा हल्का या गलत व्याख्या नहीं किया जा सकता था।, आयुष मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत स्वायत्त निकायों में काम करने वाले आयुष डॉक्टरों को छोड़कर आयुष मंत्रालय में काम करने वाला एक वरिष्ठ सलाहकार। स्वायत्त निकायों में काम करने वाले आयुष डॉक्टरों को बाहर करने के लिए मंत्रिमंडल की कोई मंजूरी नहीं है। इसलिए, विवादित पत्र मंत्रिमंडल के निर्णय के विपरीत है और केवल इसी आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 के खिलाफ इसे लागू नहीं किया जा सकता है।

iii. किसी भी मामले में 31.10.2017 दिनांकित पत्र क्रमशः 05.01.2018 और 11.08.2018 दिनांकित बाद के राजपत्रों को देखते हुए खारिज/प्रतिस्थापित हो गया।

iv. यह कि विवादित पत्र द्वारा प्रस्तुत उपवर्गीकरण मंत्रिमंडल के निर्णय के विपरीत होने के अलावा एक संदिग्ध वर्गीकरण है, और यह भारत के संविधान के क्रमशः अनुच्छेद 14, 16 और 21 का सीधा उल्लंघन है। पहला कारण यह है कि यह जिस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, यानी 755 के साथ कोई तर्क या संबंध नहीं है।

स्वायत्त निकायों में काम करने वाले आयुष डॉक्टरों का बहिष्कार और दूसरा, यह मंत्रालय और अन्य जगहों पर काम करने वाले आयुष डॉक्टरों के लिए एक कृत्रिम विशिष्टता पैदा करता है, हालांकि दोनों समान रूप से शल्य चिकित्सा आदि सहित रोगियों के ओ. पी. डी./आई. पी. डी. उपचार के योग्य और निर्वहन कार्य हैं, हालांकि अलग-अलग स्थानों पर। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एन. पी. ए. (गैर-अभ्यास भत्ता) भी प्राप्त किया। इन तथ्यों पर कोई विवाद नहीं हुआ है।

v. कि यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित है जहां वर्गीकरण का उस उद्देश्य के साथ कोई संबंध नहीं है जिसे वह प्राप्त करना चाहता है और यह कि कृत्रिम अंतर है जो एक कर्मचारी की सेवा की शर्तों के मामले में अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ होगा।

vi) कि अन्यथा भी, प्रत्यर्थी संख्या 1 उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पेज 12 से निकाले गए सोसायटी नियमों के खंड 34 के सादे पठन के बल पर 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु के लाभ का हकदार है, जिस पर अपीलकर्ताओं द्वारा व्यापक निर्भरता रखी गई है, यह तर्क देते हुए कि आयु विस्तार की प्रयोज्यता स्वायत्त निकाय के शासी निकाय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर है, और इसलिए केंद्र सरकार का सेवानिवृत्ति की आयु का नियम स्वचालित नहीं है। यह तर्क निम्नलिखित कारणों से सही नहीं है:

- खंड 34 दो भागों में है। पहला भाग यह है कि समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे। इस भाग के सरल और सरल पठन से यह स्पष्ट और स्पष्ट हो जाता है कि समय-समय पर संशोधित केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम लागू होंगे।

- खंड 34 का दूसरा भाग "या शासी निकाय द्वारा वांछित" केवल एक सक्षम प्रावधान है जो शासी निकाय को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु से परे एक कर्मचारी को बनाए रखने के संबंध में निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। दूसरे शब्दों में, शासी निकाय की 'इच्छा' यह है कि एक कर्मचारी की आयु निर्धारित आयु से आगे भी बढ़ाई जाए, यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम और कुशल बना रहता है और उसे सेवा में बनाए रखना परिषद के हित में है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

- इसलिए, खंड 34 का दूसरा भाग वास्तव में शासी निकाय को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद भी एक कर्मचारी को बनाए रखने की शक्ति देता है, बशर्ते कि इस तरह के प्रतिधारण के अनुदान की शर्तों को पूरा किया जाए। इस शक्ति को केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई सेवानिवृत्ति की कम आयु निर्धारित करने की शक्ति के साथ शासी निकाय को पहनने के लिए नकारात्मक रूप से नहीं पढ़ा जा सकता है।

- जबकि केंद्रीय परिषद के कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु के बराबर होगी, शासी निकाय के पास संगठनात्मक हित में सेवानिवृत्ति की आयु से परे भी कर्मचारी को बनाए रखने की सक्षम शक्ति है।

- यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 34 को नकारात्मक रूप से पढ़ा नहीं जा सकता है ताकि मंत्रिमंडल द्वारा खंड 34 की गलत व्याख्या करके आयुष डॉक्टरों को दी गई वृद्धि की आयु से इनकार किया जा सके।

vii. कि भविष्य निधि/जी. पी. एफ., पेंशन, ग्रेजुटी, छुट्टी नियम, वेतनमान, आचरण नियम और सेवा की अन्य शर्तों जैसे अन्य सभी पहलुओं पर परिषद के कर्मचारियों की सेवा के नियम और शर्तें वही हैं जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं जैसा कि नियमों के खंड 31, 32, 33, 42, 44 और 47 में क्रमशः निर्धारित किया गया है। इसलिए, सेवानिवृत्ति की आयु के मामले में प्रतिवादी संख्या 1 को गलत तरीके से नहीं माना जा सकता है।

viii. अपीलकर्ता एक ओर दावा करते हैं कि स्वायत्त निकायों में काम करने वाले आयुष डॉक्टर 65 वर्ष तक सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के हकदार नहीं हैं, जबकि आयुष मंत्रालय और अन्य स्वायत्त संस्थानों में काम करने वाले अन्य आयुष डॉक्टरों को 65 वर्ष तक की आयु बढ़ाने की अनुमति दी गई है।

ix. इसी तरह, सी. जी. एच. एस. में काम करने वाले आयुष डॉक्टरों को दिनांकित 24.11.2017 पत्र के माध्यम से 65 वर्ष तक की आयु बढ़ाने की अनुमति दी गई है। इसलिए, प्रत्यर्थी संख्या 1 को समान लाभ न देने का पत्र न केवल मनमाना है, बल्कि यह भेदभावपूर्ण है और इसलिए यह टिकाऊ नहीं है।

ज. इस न्यायालय ने डॉ. राम नरेश शर्मा (उपरोक्त) में एन. डी. एम. सी. में काम करने वाले समान आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के मुद्दे पर विचार किया है, जहां पैरा 23 और 24 में यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था:

757

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 758

“23. हमारे सामने अपीलकर्ताओं का आम तर्क यह है कि आयुष डॉक्टरों और डॉक्टरों का सीएचएस के तहत विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण उचित है और कानून में इसकी अनुमति है। हालांकि यह हमें आकर्षित नहीं करता है और हम न्यायाधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों से सहमत हैं कि वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और अनुचित है क्योंकि दोनों क्षेत्रों के डॉक्टर अपने रोगियों का इलाज करने और उन्हें ठीक करने का समान कार्य कर रहे हैं। एकमात्र अंतर यह है कि आयुष डॉक्टर आयुर्वेद, यूनानी आदि जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं और सीएचएस डॉक्टर अपने रोगियों की देखभाल के लिए एलोपैथी का उपयोग कर रहे हैं। हमारी समझ में, चीजों की प्रचलित योजना के तहत उपचार का तरीका अपने आप में एक बोधगम्य अंतर के रूप में योग्य नहीं है। इसलिए, इस तरह के अनुचित वर्गीकरण और इसके आधार पर भेदभाव निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ असंगत होगा। आयुष मंत्रालय का दिनांक 24.11.2017 का सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने का आदेश भी इस तरह के विचार का समर्थन करता है। यह विस्तार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 31.05.2016 की अधिसूचना के अनुरूप है।

24. आयुष और सीएचएस दोनों के तहत डॉक्टर रोगियों को सेवा प्रदान करते हैं और इस मूल पहलू पर, उन्हें अलग करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए, इन दो श्रेणियों के डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति की विस्तारित आयु का लाभ देने के लिए अलग-अलग तिथियों के लिए कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं देखा जाता है। इसलिए, आयुष मंत्रालय का आदेश (एफ. नं. डी. 14019/4/2016-ई-आई (आयुष)) दिनांक 24.11.2017 को वर्तमान अपीलों में सभी संबंधित प्रत्यर्थी-डॉक्टरों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस निष्कर्ष से सभी परिणाम सामने आने चाहिए।”

आई. अपील को लागू के साथ खारिज किया जाना चाहिए और अपीलकर्ताओं को 2018 से 2018 तक की अवधि के लिए वेतन के बकाया सहित परिणामी लाभ जारी करने के लिए निर्देश जारी किए जाने चाहिए, जो सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि के 5 साल की पूरी अवधि को कवर करेगा। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के आदेश का पालन करते हुए 25.04.2018 से इस न्यायालय द्वारा स्थगन दिए जाने तक काम किया, जिसके बाद प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवाएं अचानक समाप्त कर दी गईं।

आई. ए. नं. में हस्तक्षेपकर्ताओं/आवेदनकर्ताओं के बारे में प्रस्तुतियाँ। 2022 का 90789 एस. एल. पी. (सी) सं. 2021 का 4110

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

20. हस्तक्षेप करने वालों/आवेदकों का मामला है कि उनके डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 2018 की 9554 और 2018 की 9584 क्रमशः दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के लिए लंबित हैं और कैट, लखनऊ पीठ के समक्ष 2020 का एक मूल आवेदन संख्या 272 लंबित है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि वर्तमान अपील के अंतिम परिणाम का उपरोक्त मुकदमों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। हस्तक्षेप करने वालों का दावा है कि वे आयुष के एक अन्य निगम, सी. सी. आर. यू. एम. के तहत डॉक्टर हैं।

21. उनकी ओर से प्रचार की गई प्रस्तुतियाँ इस प्रकार हैं: ए। कि हस्तक्षेपकर्ता/आवेदक योग्यता के आधार पर यूनानी डॉक्टरों के लिए योग्य हैं और किसी भी अन्य योग्यता प्राप्त डॉक्टरों के बराबर हैं, चाहे वे एमबीबीएस डॉक्टर हों या अन्यथा।

बी। हस्तक्षेप करने वाले/आवेदक आयुष मंत्रालय के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण के तहत काम कर रहे हैं और सी. सी. आर. यू. एम. में कर्तव्यों का पालन करने के बावजूद उनकी सेवा की शर्तें मंत्रालय द्वारा शासित होती हैं।

ग. हस्तक्षेप करने वाले/आवेदक सी. सी. आर. यू. एम. के तहत काम करते समय गैर-अभ्यास भत्ता प्राप्त कर रहे हैं जो स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि हस्तक्षेप करने वाले/आवेदक वास्तव में अन्य डॉक्टरों के बराबर योग्य डॉक्टर हैं जिन्हें भी समान भत्ते मिलते हैं।

घ. हस्तक्षेप करने वालों/आवेदकों पर लागू होने वाले भर्ती नियम इस प्रकार हैं: “कार्यात्मक उद्देश्य के लिए, आयुष मंत्रालय में तैनात होने पर एक चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद) को अनुसंधान अधिकारी (आयुर्वेद) के रूप में नामित किया जाएगा और इस प्रकार चिकित्सा अधिकारी और अनुसंधान अधिकारी एक ही हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं हो सकता है।

ई. कि भारत सरकार (मंत्रिमंडल) ने अपने आदेश के माध्यम से संबंधित मंत्रालयों/विभागों (आयुष मंत्रालय) (आयुष डॉक्टरों) के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष करने का लाभ प्रदान किया है, जो अपीलकर्ता परिषद के तहत काम करने वाले डॉक्टरों पर पूरी तरह से लागू होता है, लेकिन आयुष मंत्रालय ने गलती से अपनी गलत व्याख्या करके परिषद जैसे स्वायत्त निकायों के तहत काम करने वाले डॉक्टरों को लाभ से बाहर कर दिया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 759

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 760

आयुष मंत्रालय द्वारा की गई गलत व्याख्या के बारे में, हस्तक्षेप करने वालों/आवेदकों जैसे आयुष डॉक्टरों को उक्त लाभ से गलती से इनकार कर दिया गया था।

एफ. कि भारत सरकार ने अपने स्वयं के दिनांकित 02.11.2020 आदेश के माध्यम से आईटीआरए के निदेशक को उक्त लाभ दिया है और सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष कर दिया है। इसलिए, आयुष मंत्रालय द्वारा की गई अपनी व्याख्या के अनुसार, आयु की सेवानिवृत्ति का लाभ उन सभी डॉक्टरों (शोधकर्ता सहित किसी भी क्षमता में काम करने वाले) पर पूरी तरह से लागू होता है जो आयुष के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और जब भारत सरकार (मंत्रिमंडल) ने हस्तक्षेपकर्ता/आवेदक परिषद जैसे स्वायत्त संस्थान को बाहर नहीं किया तो आयुष मंत्रालय को हस्तक्षेपकर्ताओं/आवेदकों को सेवानिवृत्ति के लाभ को अलग करने और अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है।

छ. यह प्रस्तुत किया जाता है कि सी. सी. आर. ए. एस. द्वारा जारी किए गए उपनियमों के खंड-34 और 35, सेवानिवृत्ति से संबंधित हैं और यह निर्धारित करते हैं कि समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के मौलिक और पूरक नियम और सामान्य वित्तीय नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर उत्प्रेरित परिवर्तन लागू होंगे।

ज. यह प्रस्तुत किया जाता है कि हस्तक्षेपकर्ताओं/आवेदकों ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान अनुसंधान गतिविधियों के साथ-साथ ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. में रोगियों का इलाज करने जैसे कर्तव्यों का पालन किया जो स्पष्ट रूप से स्थापित करेगा कि हस्तक्षेपकर्ता/आवेदक ओ. पी. डी. और आई. पी. डी. दोनों रोगियों की देखभाल कर रहे हैं। हस्तक्षेप करने वालों/आवेदकों ने आर. एम. एल. और डी. डी. यू. जैसे प्रतिष्ठित अस्पतालों के लिए काम किया है, जिसमें अनुसंधान कार्य के साथ-साथ रोगियों का इलाज करना शामिल है। आई. यह प्रस्तुत किया जाता है कि हस्तक्षेपकर्ता/आवेदक परिषद के तहत काम करने वाले डॉक्टरों को गैर-अभ्यास भत्ता दिया गया है और उक्त लाभ हस्तक्षेपकर्ता/आवेदकों को भी दिया गया है जो परिषद के इस रुख के स्पष्ट रूप से विपरीत है कि हस्तक्षेपकर्ता/आवेदक डॉक्टरों के कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे थे। वास्तव में, गैर-अभ्यास भत्ता केवल इस आधार पर स्वीकृत किया गया है कि हस्तक्षेप करने वाले/आवेदक योग्य डॉक्टर हैं और नैदानिक डॉक्टर के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं जिसमें ओ. पी. डी. भी शामिल है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

& आई. पी. डी. कर्तव्यों और इस प्रकार उन्हें अपने आधिकारिक कर्तव्यों के दायरे से बाहर अभ्यास करने की अनुमति नहीं है और इसके बदले में गैर-अभ्यास भत्ता दिया गया था।

जे. यह प्रस्तुत किया जाता है कि उन डॉक्टरों को आयुष डॉक्टर माना जाता है जिन्होंने आयुर्वेद, होम्योपैथी, उनामी, सिद्ध, योग और प्राकृतिक चिकित्सा में बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएनवाईएस और बीएसएम में डिग्री पाठ्यक्रम पूरा किया है और वे किसी भी अन्य योग्य डॉक्टरों के बराबर हैं।

के. मध्यस्थ/आवेदक परिषद आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है और परिषद का एक शासी निकाय है जिसमें केंद्रीय आयुष मंत्री-प्रभारी इसके अध्यक्ष और सचिव, आयुष मंत्रालय इसके उपाध्यक्ष हैं। इसके उपनियम केंद्रीय परिषद पर केंद्र सरकार के व्यापक नियंत्रण को प्रकट करते हैं। एल. उपरोक्त को हस्तक्षेपकर्ता/आवेदक परिषद के उपनियमों से स्पष्ट रूप

से दर्शाया गया है। कि उपनियमों के खंड-34 और 35 परिषद के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से संबंधित हैं जो नीचे उद्धृत किए गए हैं: उक्त उपनियमों के खंड-34 और 35 सेवानिवृत्ति से संबंधित हैं जो निम्नानुसार हैं:

“34. समय-समय पर संशोधित या शासी निकाय द्वारा वांछित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे। बशर्ते कि एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद सेवा में सेवानिवृत्त किया जा सकता है यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम और कुशल बना रहता है और उसे सेवा में बनाए रखना केंद्रीय परिषद के हित में है। 35. समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के मौलिक और पूरक नियम और सामान्य वित्तीय नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगे।”

एम. कि, आयुष मंत्रालय का स्पष्टीकरण अपने दिनांकित 31.10.2017 पत्र के माध्यम से न केवल गलत धारणा है, बल्कि अनावश्यक, मनमाना और भेदभावपूर्ण भी है। यही बात उस उद्देश्य के विपरीत भी है जिसके लिए केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई है। उपरोक्त स्पष्टीकरण 761 होगा।

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 762 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

बल्कि उन उद्देश्यों को विफल कर दें जिनके लिए केंद्रीय परिषद की स्थापना की गई थी। यह सार्वजनिक नीति के खिलाफ है और इसे निरस्त किया जा सकता है और ओरिसा के उच्च न्यायालय ने तत्काल अपील में प्रतिवादी के पक्ष में सही निर्णय दिया।

एन. हस्तक्षेपकर्ता/आवेदकों को हालांकि शोधकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, लेकिन इसके साथ ही वे ओ. पी. डी., आई. पी. डी. आदि में रोगी का इलाज करने जैसे डॉक्टरों के कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और जिसके लिए उन्हें समय-समय पर आवश्यक प्रमाण पत्र जारी किया गया था।

विश्लेषण

22. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुनने के बाद और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री को देखने के बाद एकमात्र सवाल जो हमारे विचार के लिए आता है वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय ने विवादित निर्णय पारित करने में कोई त्रुटि की है?

23. अपीलार्थी परिषद सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त निकाय है और इसे प्रशासनिक रूप से आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह एक निकाय है जिसका गठन आयुर्वेदिक विज्ञानों में वैज्ञानिक सी दिशानिर्देशों पर अनुसंधान करने, सहयोग करने, तैयार करने, विकसित करने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है। इन कर्मचारियों की भर्ती के नियम, प्रक्रिया और सेवा की शर्तें परिषद के उपनियमों और संघ के ज्ञापन द्वारा शासित होती हैं।

24. हमारे सामने मुकदमेबाजी करने वाले पक्षों द्वारा उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों की सराहना करने के लिए, हमें केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के संघ के ज्ञापन में उप-कानूनों के खंड 25 (बी), 34, 35 और 47 पर विचार करना चाहिए:

“नियुक्तियाँ

25. (ए)।

(ख) सभी पदों पर भर्ती, नियुक्तियाँ और पदोन्नति पदों के लिए शासी निकाय या नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार की जाएगी। चयन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन से विधिवत गठित चयन समितियों/विभागीय पदोन्नति समितियों के माध्यम से किया जाएगा।

सेवानिवृत्ति

34. समय-समय पर संशोधित या शासी निकाय द्वारा वांछित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे। बशर्ते कि एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकता है यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम और कुशल बना रहता है और उसे सेवा में बनाए रखना केंद्रीय परिषद

के हित में है। 35. समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के मौलिक और पूरक नियम और सामान्य वित्तीय नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर उत्प्रेरित रूप से लागू होंगे।

सेवा की अन्य शर्तें

47. इन विनियमों में जिन मामलों के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, उनके संबंध में सेवा, वेतन, भत्ते टी. ए. और दैनिक भत्ते, विदेशी सेवा की शर्तें, भारत और विदेशों में प्रतिनियुक्ति आदि की सामान्य शर्तों के संबंध में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम और केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेश और निर्णय केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर उत्प्रेरित रूप से लागू होंगे।"

(जोर दिया गया) 25. उपनियमों के उपरोक्त खंडों को सरलता से पढ़ने से पता चलता है कि कर्मचारियों की भर्ती परिषद की चयन समिति के माध्यम से की जाती है। यह आगे इंगित करता है कि मौलिक नियम, 1922 का उन मामलों में कोई प्रत्यक्ष अनुप्रयोग नहीं होगा जहां शासी निकाय सेवानिवृत्ति के नियमों को लागू करता है। उपनियम के खंड 34 के संदर्भ में, शासी निकाय ने 01.12.1998 पर सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय की थी। परिषद के शासी निकाय की 14 वीं बैठक में उक्त निर्णय का अनुसमर्थन 27.01.2000 पर किया गया था।

26. हमारे विचार में, अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का यह कहना सही है कि शासी निकाय का दिनांक 27.12.2000 का निर्णय 30.04.2018 यानी प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवानिवृत्ति की तारीख पर लागू होता है। यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी नंबर 1 एक शोधकर्ता के रूप में काम कर रहा था और एक अनुसंधान सहायक की सेवा की शर्तें आयुष डॉक्टर की तुलना में पूरी तरह से अलग हैं। यह भी विवाद में नहीं है कि 763

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 764

आयुष डॉक्टरों की तुलना में प्रतिवादी संख्या 1 की भर्ती का तरीका अलग है।

27. प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रचारित मुख्य तर्क यह है कि एफ. आर. 56 (बी. बी.) के प्रावधान परिषद के उप-कानूनों के खंड 35 को देखते हुए परिषद के कर्मचारी के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 1 पर लागू होंगे, जिसके द्वारा एफ. आर. और एस. आर. के प्रावधान परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे। दूसरी ओर, अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत किया गया मामला यह है कि मंत्रालय के दिनांक 31.10.2017 के स्पष्टीकरण को देखते हुए उक्त प्रावधान परिषद के कर्मचारियों पर लागू नहीं होते हैं। मंत्रालय द्वारा अपने दिनांकित पत्र 31.10.2017 के माध्यम से दिए गए स्पष्टीकरण के संबंध में, प्रतिवादी संख्या 1 का रुख यह है कि इस तरह का स्पष्टीकरण मंत्रिमंडल के निर्णय या संशोधित एफ. आर. 56 के प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकता है।

28. उपरोक्त पहलू पर कैट द्वारा विधिवत विचार किया गया था। कैट ने उचित रूप से यह विचार रखा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से दिया गया तर्क, कि परिषद ऊपर निर्दिष्ट उपनियमों के खंड 35 पर विचार करने में विफल रही, जिसमें कहा गया है कि समय-समय पर संशोधित एफ. आर., एस. आर. और (जी. एफ. आर.) परिषद के कर्मचारियों पर उत्प्रेरित लागू करेंगे, बिना किसी योग्यता के थे और अस्वीकार किए जाने के योग्य थे। हमारी राय में कैट ने इस तरह के तर्क को सही ढंग से खारिज कर दिया। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि लागू होना परिषद के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले खंड 34 के प्रावधानों से अधीन होगा।

29. ऊपर निर्दिष्ट उपनियमों के खंड 35 में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में खंड 34 पर इसका एक प्रबल प्रभाव होगा। उपनियमों के खंड 47 में यह स्पष्ट किया गया है कि उपनियमों में निर्दिष्ट रूप से प्रदान नहीं किए गए मामलों के लिए सरकारी कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम लागू होंगे। हालांकि, चूंकि खंड 34 में सेवानिवृत्ति के संबंध में एक विशिष्ट प्रावधान है, इसलिए सेवानिवृत्ति के संबंध में सरकारी सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियम परिषद के कर्मचारियों पर तब तक लागू नहीं होते हैं जब तक कि यह उपनियमों के खंड 34 के अनुसार न हो।

30. अब हम प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बालासुब्रमण्यम द्वारा प्रचार किए गए एक दूसरे के निवेदन पर विचार करेंगे। यह प्रस्तुत किया गया था कि उपनियमों का खंड 34

इसे दो भागों में पढ़ा जाना चाहिए। प्रथम भाग में कहा गया है कि समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम केंद्रीय परिषद के कर्मचारियों पर लागू होंगे। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, खंड 34 का दूसरा भाग जो "या शासी निकाय द्वारा वांछित" है, केवल एक सक्षम प्रावधान है जो शासी निकाय को यह निर्णय लेने के लिए सशक्त बनाता है कि क्या कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु से परे बनाए रखने का हकदार है। विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार ऐसी शक्ति को केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई सेवानिवृत्ति की कम आयु निर्धारित करने की शक्ति के साथ शासी निकाय को पहनने के लिए नकारात्मक रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। हम डरते हैं, हम इस तरह के तर्क को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। खंड 34 की भाषा बहुत स्पष्ट है। खंड 34 को पढ़ते समय "या" शब्द पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। इसके बाद, एक प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति की निर्धारित आयु के बाद सेवा में बनाए रखा जा सकता है यदि वह शारीरिक रूप से सक्षम और कुशल बना रहता है और उसे सेवा में बनाए रखना केंद्रीय वकील के हित में है।

31. "समय-समय पर संशोधित भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति को नियंत्रित करने वाले नियम" शब्द को उप-कानून के शेष भाग से इस शब्द द्वारा अलग किया जाता है "या" जो असंगत है और उक्त शब्द को स्वाभाविक अर्थ देता है, भारत सरकार द्वारा बनाए जाने वाले नियमों और उन नियमों को अलग करता है जिन्हें परिषद के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में परिषद बनाना चाहेगी। 32. यह वैधानिक व्याख्या का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि "या" शब्द आम तौर पर असंगत है और "और" शब्द आम तौर पर संयुग्म है। इन दोनों को इसके विपरीत के रूप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन उस व्याख्या को केवल तभी अपनाया जाता है जब विधायिका का इरादा प्रकट होता है।

33. न्यायमूर्ति जी. पी. सिंह ने सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों (तेरहवां संस्करण 2012) पृष्ठ 485 में निम्नानुसार कहा है:

“‘या’ शब्द आम तौर पर विभेदक होता है और ‘और’ आम तौर पर संयुग्म होता है, लेकिन समय-समय पर उन्हें विधानमंडल के स्पष्ट इरादे को प्रभावी बनाने के लिए इसके विपरीत के रूप में पढ़ा जाता है जैसा कि संदर्भ से पता चलता है। जैसा कि स्कूटन, एल. जे. ने कहा: “आप कभी-कभी कानून में ‘या’ के रूप में ‘और’ पढ़ते हैं। लेकिन आप इसे तब तक नहीं करते जब तक कि आप बाध्य न हों क्योंकि ‘या’ का आम तौर पर अर्थ नहीं है ‘और’ और ‘का आम तौर पर अर्थ नहीं है ‘या’।”

765

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 766 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

और जैसा कि लॉर्ड हेल्सबरी ने बताया है कि 'या' के रूप में 'और' के पढ़ने का सहारा नहीं लिया जाना चाहिए, जब तक कि उसी कानून के किसी अन्य हिस्से या इसके स्पष्ट इरादे के लिए ऐसा करने की आवश्यकता न हो। जहाँ प्रावधान स्पष्ट और असंदिग्ध है वहाँ 'या' शब्द को पढ़ने के सिद्धांत को लागू करके 'और' के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है। लेकिन अगर शब्दों के शाब्दिक पढ़ने से एक अस्पष्ट या बेतुका परिणाम उत्पन्न होता है, तो परिणाम 'और' के लिए 'या' और 'या' के लिए 'और' के लिए पढ़ा जा सकता है, भले ही शब्दों को इस तरह से संशोधित करने का परिणाम विषय के लिए कम अनुकूल हो, बशर्ते कि विधानमंडल का इरादा अन्यथा काफी स्पष्ट हो। इसके विपरीत यदि 'और' और 'या' को पढ़ने से व्याकरणिक विकृति उत्पन्न होती है और 'और' के बाद के हिस्से का कोई अर्थ नहीं है, या 'और' के स्थान पर नहीं पढ़ा जा सकता है। 'या' से जुड़े विकल्पों को हमेशा पारस्परिक रूप से अनन्य होने की आवश्यकता नहीं है।”

34. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम उपनियमों के खंड 34 की व्याख्या के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से प्रचार किए गए प्रस्तुतिकरण को अस्वीकार करते हैं। इस संदर्भ में, हम केवल यह कह सकते हैं कि परिषद का शासी निकाय सेवानिवृत्ति के संबंध में आयुष मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप निर्णय लेने के लिए बाध्य नहीं है, विशेष रूप से यह स्पष्ट करते हुए कि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि सी. सी. आर. ए. एस. जैसे स्वायत्त निकाय पर लागू नहीं होती है।

35. हम प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से किए गए इस कथन से भी प्रभावित नहीं हैं कि भविष्य निधि/जी. पी. एफ., पेंशन, ग्रेजुटी, अवकाश नियम, वेतनमान, आचरण नियम और सेवाओं की अन्य शर्तें जैसे अन्य सभी पहलुओं पर परिषद के कर्मचारियों की सेवाओं के नियम और शर्तें केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होती हैं जैसा कि उप-कानूनों के खंड 31, 32, 33, 42, 44 और 47 में क्रमशः निर्धारित किया गया है, प्रत्यर्थी संख्या 1 की सेवानिवृत्ति की आयु के मामले को अलग तरीके से नहीं माना जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति की आयु क्या होनी चाहिए, यह नीति का विषय है। कानून बनाना अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह केवल तभी होता है जब कोई नीतिगत निर्णय या अधिसूचना मनमाना हो और यह संविधान के

अनुच्छेद 14 की निंदा को आमंत्रित कर सकता है। किसी भी मामले में, सेवानिवृत्ति की आयु का सवाल वेतन और भत्तों और वेतन के संशोधन से संबंधित सेवा शर्तों से अलग है।

36. हम इस स्तर पर तमिलनाडु में निम्नलिखित निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं।

शिक्षा विभाग मंत्रिस्तरीय और सामान्य अधीनस्थ सेवाएं

एसोसिएशन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य ने रिपोर्ट किया

(1980) 3 एससीसी 97:[एस. सी. सी. पीपी. 99 एस. सी. सी. (एल एंड एस)पी. 296, पैरा 7]

“7. सेवा न्यायशास्त्र में एकीकरण एक जटिल प्रशासनिक समस्या है, जहां कई लोगों को व्यापक न्याय देने में, कुछ लोगों के लिए कुछ चोटों से इनकार नहीं किया जा सकता है। जोड़ों में कुछ खेल, यहां तक कि कुछ हिलना-डुलना भी, बिना किसी उग्र फोरेसिक निगरानी के सरकार पर छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन संविधान द्वारा कार्यपालिका को सौंपा गया है, न कि अदालत को। प्रशासनिक जीवन सहित सभी जीवन में प्रयोग, परीक्षण और त्रुटि शामिल हैं, लेकिन मौलिक अधिकारों के प्रमुख तारों के भीतर, और असंवैधानिक 'ज्यादतियों' के अभाव में, न्यायिक सुधार सही नहीं है।.....”

37. अनुसंधान सहायक और आयुष डॉक्टरों के बीच कृत्रिम अंतर के आधार पर संविधान के अनुच्छेद 14 के उल्लंघन सहित ऐसे सभी मुद्दों को उठाने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है। प्रत्यर्थी संख्या 1 को पहले दिन से ही पता था कि उनकी नियुक्ति की तारीख से ही उन्हें अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त किया जा रहा है। आयुष डॉक्टरों की तुलना में उनकी सेवा की शर्तें और भर्ती का तरीका अलग है। यह एक अलग बात है कि उन्होंने रोगियों का इलाज किया होगा, लेकिन यह अपने आप में उन्हें यह दावा करने का अधिकार नहीं देगा कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु आयुष डॉक्टरों के बराबर होनी चाहिए।

38. उपरोक्त संदर्भ में, हम किसी निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं और उस पर भरोसा कर सकते हैं

बिहार राज्य और एक अन्य बनाम सरकार के शिक्षक संघ के मामले में इस न्यायालय का। इंजीनियरिंग कॉलेज और अन्य, 2000 में रिपोर्ट किए गए

10 एस. सी. सी. 527 जिसमें उत्तरदाता बिहार राज्य के स्वामित्व वाले तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों के शिक्षक थे। उनकी भर्ती बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से की गई थी। उनकी सेवा की शर्तें बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित थीं। बिहार सेवा संहिता के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत, 1989 तक सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी। हालांकि, 01.10.1989 से EFFECT के साथ इसे बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की सेवानिवृत्ति की आयु के बराबर होनी चाहिए जो पटना विश्वविद्यालय का एक कॉलेज था। इसके शिक्षकों की भर्ती विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से की गई थी। उनकी सेवा शर्तों को पटना विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत नियंत्रित किया गया था। प्रासंगिक समय में विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष थी। हालांकि, 15.08.1992 से प्रभावी होने पर सेवानिवृत्ति की आयु घटाकर 60 वर्ष कर दी गई थी।

767

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 768

प्रतिवादी के दावे को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। राज्य की अपील को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

“5. उत्तरदाताओं का तर्क है कि उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज, पटना में कार्यरत विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु के समान होनी चाहिए। लेकिन राज्य के तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में शिक्षकों की सेवा के नियम और शर्तें पटना के बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में कार्यरत विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवा के नियमों और शर्तों से अलग हैं। भर्ती के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण भी अलग है। भर्ती की विधि अलग-अलग होती है और सेवा की शर्तें अलग-अलग नियमों और विनियमों और/या एक अलग अधिनियम के तहत निर्धारित की जाती हैं। हम यह देखने में विफल हैं कि बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित सरकारी कर्मचारियों के संबंध में, बिहार सेवा संहिता द्वारा शासित अन्य सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति की आयु सेवानिवृत्ति की आयु से अलग कैसे होनी चाहिए। उच्च न्यायालय को तीन राज्य महाविद्यालयों में सेवा शर्तों की तुलना विश्वविद्यालय महाविद्यालय में सेवा शर्तों के साथ नहीं करनी चाहिए थी। इन परिस्थितियों में अनुच्छेद 14 को लागू करना गलत

है, जब कॉलेजों के दो समूहों में सेवा शर्तों के बीच अंतर के लिए वैध मानदंड हैं। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, पटना के अलावा अन्य तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों में काम करने वाले शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु को पटना के बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में काम करने वालों की सेवानिवृत्ति की आयु के बराबर लाने का निर्देश देते हुए उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को परिसर में रद्द कर दिया गया है। सेवानिवृत्ति की विस्तारित आयु से बकाया भुगतान करने या लाभ देने के लिए आगे के निर्देश को भी अलग रखा गया है। तदनुसार अपीलों की अनुमति दी जाती है।"

39. एकमात्र विचार जिसके साथ हमने उपरोक्त निर्णय का उल्लेख किया है और उस पर भरोसा किया है, वह यह बताना है कि मामला भेदभाव का नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्तमान मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोई अनुप्रयोग नहीं है।

40. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ परिषद श्री लेखी ने इस न्यायालय के दो निर्णयों पर दृढ़ता से भरोसा व्यक्त किया: (i) टी. एम. संपत (ऊपर) और (ii) भगवान (ऊपर)। इन दोनों निर्णयों पर इस तर्क को मजबूत करने के लिए भरोसा किया गया है कि स्वायत्त निकायों के कर्मचारी हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

वे अपने स्वयं के नियमों और उपनियमों द्वारा शासित होते हैं और वे सरकारी कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते। हमें इन दोनों फैसलों पर गौर करना चाहिए। टी. एम. संपत (ऊपर) के क्रमशः पैरा 3, 15, 16 और 17 इस प्रकार हैं:

"3. इन अपीलों के तथ्य संक्षेप में आगे बताए गए हैं। इसमें अपीलकर्ता राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ("एन. डब्ल्यू. डी. ए.") के कर्मचारी हैं, जिसे जुलाई 1982 में एक सोसायटी के रूप में स्थापित किया गया था और जिसे सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किया गया था। सोसायटी एन. डब्ल्यू. डी. ए., जो जल संसाधन मंत्रालय के प्रशासनिक और वित्तीय दोनों के तत्वावधान और नियंत्रण में आती है, पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति के रूप में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री करते हैं। एन. डब्ल्यू. डी. ए. ने इसके सुचारु संचालन के लिए नियम और विनियम बनाए। केंद्र सरकार कार्यालय ज्ञापन ("ओ. एम.", संक्षेप में) द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए जो भी परिलब्धि निर्धारित की गई है, वही उत्परिवर्तन लागू होती है।

एन. डब्ल्यू. डी. ए. के कर्मचारियों को। एन. डब्ल्यू. डी. ए. का उपनियम 28 यह भी अनिवार्य करता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियम और आदेश एन. डब्ल्यू. डी. ए. के कर्मचारियों पर सेवा शर्तों के संबंध में शासी निकाय द्वारा संशोधन के अधीन उत्परिवर्तन लागू करेंगे और केवल किसी भी संदेह के मामले में, मामले को निर्णय के लिए शासी निकाय को भेजा जाना चाहिए। उपनियम 26 (ए) में प्रावधान है -

सभी कर्मचारियों के लिए परिलब्धि संरचना जिसे एन. डब्ल्यू. डी. ए. द्वारा वित्त मंत्रालय (विभाग) के अनुमोदन से अपनाया जाएगा।

व्यय)। उपनियम 28 में प्रावधान है कि जब तक एन. डब्ल्यू. डी. ए. कर्मचारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने वाले अपने नियम नहीं बनाता है, तब तक केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होने वाले नियम और आदेश एन. डब्ल्यू. डी. ए. द्वारा समय-समय पर किए गए संशोधनों के अधीन रहते हुए उत्परिवर्तित रूप से लागू होंगे।

XXX

XXX

XXX

15. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुतियों के आलोक में, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एन. डब्ल्यू. डी. ए. ने अपना विनियमन तैयार किया था: सी. पी. एफ. नियम, 1982 और उन्हें एन. डब्ल्यू. डी. ए. के शासी निकाय द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया था। चूंकि एन. डब्ल्यू. डी. ए. जल संसाधन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, इसलिए इसने कर्मचारियों को नियंत्रित करने के लिए अपने स्वयं के उपनियम बनाए हैं।

यह बार-बार दोहराया गया है कि अदालत को 769 को अपनाना चाहिए।

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 770 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

स्वायत्त संस्थानों द्वारा बनाए गए नियमों की व्याख्या के मामले में पूर्ण गैर-हस्तक्षेप या न्यूनतम हस्तक्षेप का रवैया।

केरल एस. आर. टी. सी. बनाम के. ओ. वर्गीज [(2007) 8 एस. सी. सी. 331:(2007) 2 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 862], इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:(एस. सी. सी. पीपी. 240-41, पैरा 18 और 21) "18. ... केएसआरटीसी सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निगम है। यह उस ओर से उचित नियम बनाकर अपने कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित कर सकता है।

*

*

*

21. उच्च न्यायालय का यह सोचना सही नहीं है कि के. एस. आर. टी. सी. पर राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को दी जाने वाली पेंशन और अन्य लाभों में सभी वृद्धि स्वचालित रूप से देने के लिए के. एस. आर. टी. सी. के भाग III को अपनाने पर कोई मजबूरी है।"

इस प्रकार, चूंकि अपीलार्थी सी. पी. एफ. नियम, 1982 द्वारा शासित होते हैं, इसलिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू ओ. एम. उन पर लागू नहीं होता है।"

16. एन. डब्ल्यू. डी. ए. और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच समानता के मुद्दे पर, भले ही यह माना जाए कि 1982 के नियम मौजूद नहीं थे या ओ. एम. की तारीख यानी 1-5-1987 पर लागू नहीं थे, समानता का सिद्धांत निम्नानुसार नहीं हो सकता है:

एन. डब्ल्यू. डी. ए. के कर्मचारियों पर लागू। एन. डब्ल्यू. डी. ए. को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत केवल इस आधार पर राज्य के एक साधन के रूप में नहीं माना जा सकता है कि इसकी निधि केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है।

सरकार।जी टेलीफ़ी एल. एम. एस. लिमिटेड बनाम भारत संघ [(2005) 4 एस. सी. सी. 649], इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सरकार के साथ कुछ संबंध रखने वाले स्वायत्त निकाय उन्हें "राज्य" अभिव्यक्ति के दायरे में नहीं लाएंगे और प्रत्येक मामले का निर्धारण अपने गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए। इस प्रकार, एन. डब्ल्यू. डी. ए. के कर्मचारियों की याचिका कि सामान्य वित्तीय नियमों के नियम 209 के उप-नियम (6) (iv) के तहत केंद्र सरकार में उनके समकक्षों के बराबर माना जाए, केवल धन के आधार पर लागू नहीं होती है।

17. भले ही यह माना जाता है कि एन. डब्ल्यू. डी. ए. संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत "राज्य" है, अपीलार्थी यह साबित करने में विफल रहे हैं कि वे अपने समकक्षों के बराबर हैं, जिनके साथ वे समानता का दावा करते हैं। जैसा कि आयोजित किया गया है

इस न्यायालय द्वारा केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ बनाम कृष्ण भंडारी [(1996) 11 एस. सी. सी.

348 :1997 एस. सी. सी. (एल. एंड. एस.) 391], समानता के दावे का दावा तब किया जा सकता है जब राज्य द्वारा समान रूप से स्थित दो व्यक्तियों के बीच भेदभाव किया जाता है। उक्त भेदभाव को उन मामलों में लागू नहीं किया जा सकता है जहां अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के रूप में काम करने वाले दो अलग-अलग प्राधिकरणों के कार्यों के बीच भेदभाव दिखाया जाना चाहिए। इस प्रकार,

एन. डब्ल्यू. डी. ए. के कर्मचारियों को "केंद्र सरकार के कर्मचारी" नहीं कहा जा सकता है जैसा कि इसकी प्रयोज्यता के लिए ओ. एम. में कहा गया है।"

(जोर दिया गया) 41।टी. एम. संपत (ऊपर) के मामले में निर्णय को बाद में भगवान (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया और उस पर भरोसा किया गया।भगवान (ऊपर) में इस न्यायालय ने पैरा 26 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:

“26. इस न्यायालय द्वारा निर्णयों के एक समूह में निर्धारित कानून के अनुसार, स्वायत्त निकायों के कर्मचारी अधिकार के रूप में, सरकारी कर्मचारियों के बराबर सेवा लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं।केवल इसलिए कि ऐसे स्वायत्त निकायों ने सरकारी सेवा नियमों और/या शासी परिषद को अपनाया होगा, सरकार का एक प्रतिनिधि हो सकता है और/या केवल इसलिए कि ऐसी संस्था को राज्य/केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाता है, ऐसे स्वायत्त निकायों के कर्मचारी, अधिकार के मामले में, राज्य/केंद्र सरकार के कर्मचारियों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकते हैं।यह विशेष रूप से तब होता है जब ऐसे स्वायत्त निकायों के कर्मचारी अपने स्वयं के सेवा नियमों और सेवा शर्तों द्वारा शासित होते हैं।राज्य सरकार और स्वायत्त बोर्ड/निकाय को बराबरी पर नहीं रखा जा सकता है।”

(जोर दिया गया) 42।हमें इस मामले में इस अदालत के फैसले पर भी गौर करना चाहिए।

केरल सहायक लोक अभियोजक संघ बनाम केरल राज्य

और अन्य ने ए. आई. आर. 2018 एस. सी. 2652 में रिपोर्ट की, जिसमें सहायक लोक अभियोजक लोक अभियोजकों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में समानता की मांग कर रहे थे।इस न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि दोनों पदों के बीच चयन का तरीका बहुत अलग है और पहले वाले को सरकारी कर्मचारी माना जाता है, जबकि दूसरे को नहीं माना जाता है।इसके बाद न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि केवल इसलिए कि दोनों के बीच कार्य की प्रकृति समान है, इसका मतलब यह नहीं है कि 771

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 772

सेवानिवृत्ति की आयु भी समान होनी चाहिए।प्रासंगिक भाग यहाँ प्रस्तुत किया गया है:

“6. ... यह तथ्य कि सहायक लोक अभियोजकों और लोक अभियोजकों के कर्तव्यों और कार्यों की प्रकृति समान है, सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में लोक अभियोजकों के साथ समानता का दावा करने का आधार नहीं हो सकता है।”

(बल दिया गया)

43. भारत संघ और अन्य बनाम लेफ्ट (श्रीमती) ई. आईकैट्स में, रिपोर्ट किया गया

(1997) 7 एस. सी. सी. 334 में, प्रत्यर्थी ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका का नेतृत्व किया था जिसमें 55 वर्ष की आयु में उनकी सेवानिवृत्ति को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि सैन्य प्रतिष्ठान के तहत अन्य नर्सिंग सेवाओं में सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी।उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि केवल 55 वर्ष की आयु में स्थानीय सेवा के लिए नियुक्त की गई नर्सों को सेवानिवृत्त करना भेदभावपूर्ण था।याचिका को उच्च न्यायालय ने मंजूरी दे दी थी।यू. ओ. आई. अपील में इस अदालत के समक्ष आया।इस न्यायालय ने यू. ओ. आई. के नेतृत्व में अपील को स्वीकार करते हुए निम्नलिखित टिप्पणी की:

“3. ... यदि अलग-अलग नर्सिंग सेवाओं का गठन अलग-अलग सेना के निर्देशों के तहत किया जाता है, जिसमें उनके अपने अलग-अलग सेवा नियम और शर्तें होती हैं, तो कोई भी भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकता है यदि इन अलग-अलग सेवाओं के तहत निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु अलग-अलग है।प्रत्येक

अपने स्वयं के नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।उत्तरदाता

इसलिए, यह दावा करना उचित नहीं है कि उनके साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि वह 55 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हुई हैं।”

(जोर दिया गया) 44।सेवानिवृत्ति की आयु हमेशा किसी विशेष पद पर नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले वैधानिक नियमों द्वारा नियंत्रित होती है।इसलिए, भले ही यह माना जाए कि दोनों पदों में शामिल काम की प्रकृति समान है, लेकिन यह किसी कर्मचारी की सेवा शर्तों को बढ़ाने या बदलने का आधार नहीं हो सकता है क्योंकि प्रत्येक पद अपने स्वयं के नियमों द्वारा शासित होता है। नए मामले में भी ऐसा ही हुआ था

ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम बी. डी. सिंघल और

अन्य, ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 3457 में रिपोर्ट किए गए, जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

“24. ... चूंकि सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि एक 'सार्वजनिक कार्य' है जिसे कानून और सेवा के प्रावधानों द्वारा प्रसारित किया जाता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

विनियमों के अनुसार, वादा रोकने के सिद्धांत का उपयोग नोएडा की कार्रवाई को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता है।

(जोर दिया गया) 45। अब हम डॉ. राम नरेश शर्मा (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर विचार करेंगे। इस न्यायालय के इस निर्णय पर प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री आर. बाला ने भरोसा किया है। उन्होंने क्रमशः पैरा 23 और 24 पर भरोसा किया है जो इस प्रकार है:

“23. हमारे सामने अपीलकर्ताओं का आम तर्क यह है कि आयुष डॉक्टरों और डॉक्टरों का सीएचएस के तहत विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकरण उचित है और कानून में इसकी अनुमति है। हालांकि यह हमें आकर्षित नहीं करता है और हम न्यायाधिकरण और दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों से सहमत हैं कि वर्गीकरण भेदभावपूर्ण और अनुचित है क्योंकि दोनों क्षेत्रों के डॉक्टर अपने रोगियों का इलाज करने और उन्हें ठीक करने का समान कार्य कर रहे हैं। एकमात्र अंतर यह है कि आयुष डॉक्टर आयुर्वेद, यूनानी आदि जैसी स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं और सीएचएस डॉक्टर अपने रोगियों की देखभाल के लिए एलोपैथी का उपयोग कर रहे हैं। हमारी समझ में, चीजों की प्रचलित योजना के तहत उपचार का तरीका अपने आप में एक बोधगम्य भिन्नता के रूप में योग्य नहीं है। इसलिए, इस तरह के अनुचित वर्गीकरण और इसके आधार पर भेदभाव निश्चित रूप से संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ असंगत होगा। आयुष मंत्रालय का दिनांक 24.11.2017 का सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने का आदेश भी इस तरह के विचार का समर्थन करता है। यह विस्तार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की दिनांक 31.05.2016 की अधिसूचना के अनुरूप है।

24. आयुष और सीएचएस दोनों के तहत डॉक्टर रोगियों को सेवा प्रदान करते हैं और इस मूल पहलू पर, उन्हें अलग करने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए, इन दो श्रेणियों के डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति की विस्तारित आयु का लाभ देने के लिए अलग-अलग तिथियों के लिए कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं देखा जाता है। इसलिए, आयुष मंत्रालय का आदेश (एफ. नं. डी.

14019/4/2016 ई. आई. (आयुष) दिनांकित 24.11.2017 को वर्तमान अपीलों में सभी संबंधित प्रत्यर्थी डॉक्टरों के लिए 31.05.2016 से पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए। इस निष्कर्ष से सभी परिणाम सामने आने चाहिए।”

46. डॉ. राम नरेश शर्मा (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय का उपरोक्त निर्णय जिस पर **773** की ओर से मजबूत निर्भरता रखी गई है।

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 774

प्रत्यर्थी संख्या 1 का इस साधारण कारण से कोई लाभ नहीं है कि उक्त मामले में केवल एक ही सवाल उठा कि क्या एलोपैथी डॉक्टरों के पक्ष में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का लाभ आयुर्वेद डॉक्टरों के लिए भी उपलब्ध था या नहीं? उक्त निर्णय आयुष मंत्रालय के दिनांक 24.11.2017 के एक आदेश पर आधारित था।

47. जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट उक्त निर्णय के पैराग्राफ 23 से देखा गया है, एलोपैथी डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश द्वारा बढ़ाई गई थी। इसके बाद मौलिक नियम और पूरक नियम, 1922 में परिणामी संशोधन किया गया। चूंकि, आयुर्वेद चिकित्सक मंत्रालय के दिनांकित 31.05.2016 के आदेश के दायरे में नहीं थे, इसलिए आयुर्वेद डॉक्टरों ने प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष आवेदनों का नेतृत्व किया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण ने 24.08.2017 दिनांकित आदेश द्वारा आवेदनों की अनुमति दी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम (नियोक्ता) ने न्यायाधिकरण के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाओं का नेतृत्व किया। रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, आयुष मंत्रालय ने आयुष डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 65 वर्ष करने का आदेश जारी किया, लेकिन डब्ल्यू. ई.

एफ. 27.09.2017। यह उस संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने डॉ. राम नरेश शर्मा (उपरोक्त) में उपरोक्त निर्णय दिया। इस प्रकार, यह निर्णय प्रत्यर्थी संख्या 1 के लिए किसी भी तरह से सहायक नहीं है।

48. हम केवल यह कह सकते हैं कि वर्तमान मुकदमे के प्रति उच्च न्यायालय का पूरा दृष्टिकोण गलत था। हम यह देखकर थोड़ा निराश हैं कि उच्च न्यायालय ने वर्तमान मुकदमेबाजी को बहुत ही लापरवाही से निपटाया है। सबसे पहले, उच्च न्यायालय ने कैट द्वारा मूल याचिका के निपटारे तक सेवा की अवधि को 60 साल से आगे बढ़ाने के लिए अंतरिम राहत देने की हद तक चला गया। इस तरह के अंतरिम आदेश के आधार पर जो उच्च न्यायालय को आम तौर पर नहीं देना चाहिए, प्रतिवादी संख्या 1 हालांकि 2018 में सेवानिवृत्त होने वाला था, फिर भी 2021 तक सेवा में बना रहा। यह केवल तभी है जब इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश के संचालन पर रोक लगा दी कि प्रतिवादी संख्या 1 की सेवा समाप्त हो गई। इसलिए, न्यायालय या न्यायाधिकरण को सेवा में बने रहने के लिए अंतरिम राहत देने में धीमी और चौकस रहना चाहिए, जब तक कि प्रथम दृष्टया निर्दोष चरित्र का सबूत पेश नहीं किया जाता है क्योंकि यदि लोक सेवक सफल होता है, तो उसे हमेशा मुआवजा दिया जा सकता है। लेकिन अगर वह विफल रहता है, तो उसे विस्तारित सेवा का अनुचित लाभ मिलता और वह केवल अपने साथ अन्याय करता।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

तत्काल जूनियर। दोहराने की कीमत पर, हम यह कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय इस तथ्य से अवगत था जैसा कि विवादित आदेश में बहुत अधिक दर्ज किया गया था कि प्रतिवादी संख्या 1 को एक अनुसंधान सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और वह अनुसंधान परिषद के तहत एक शोधकर्ता के रूप में काम कर रहा था और उनकी सेवा की शर्तें भी आयुष मंत्रालय में सेवारत आयुष डॉक्टरों की तुलना में अलग थीं। उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया कि सेवानिवृत्ति की बढ़ी हुई आयु का लाभ भी दिया जा सकता है यदि किए गए कर्तव्य आयुष डॉक्टरों के समान हैं। हम यह समझने में विफल हैं कि न्यायालय किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की आयु को यह कहते हुए कैसे निर्धारित कर सकता है कि वह अपनी नौकरी के प्रति बहुत समर्पित है। सेवानिवृत्ति की आयु हमेशा वैधानिक नियमों और अन्य सेवा शर्तों द्वारा नियंत्रित होती है।

49. इस मामले को समाप्त करने से पहले, हम उपरोक्त संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन करना चाहेंगे:

संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करने वाले कानून के दो प्रमुख सिद्धांत, विशेष रूप से जब प्रमाण पत्र जारी करने की बात आती है।

50. कानून का पहला मूल सिद्धांत जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से जब यह प्रमाणपत्र के रिट के मुद्दे की बात आती है तो यह है कि इस तरह के रिट को देने में, उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। यह उन साक्ष्यों की समीक्षा या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है जिन पर निम्न न्यायाधिकरण का निर्धारण आधारित होने का तात्पर्य है। यह उस आदेश को ध्वस्त करता है जिसे वह अधिकार क्षेत्र के बिना या स्पष्ट रूप से गलत मानता है, लेकिन अपने स्वयं के विचारों को निम्न न्यायाधिकरण के विचारों के स्थान पर नहीं रखता है। यदि अभिलेख के सामने कानून की कोई त्रुटि स्पष्ट है तो प्रमाणपत्र की रिट जारी की जा सकती है। प्रमाणपत्र का एक रिट, एक उच्च विशेषाधिकार प्राप्त रिट होने के कारण, केवल पूछने पर जारी नहीं किया जाना चाहिए।

51. संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का दूसरा प्रमुख सिद्धांत यह है कि किसी मामले में, भले ही रिट याचिका में चुनौती दी गई कोई कार्रवाई या आदेश अवैध और अमान्य पाया जाए, उच्च न्यायालय अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय करने की दृष्टि से उसे परेशान करने से इनकार कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 226 एक असाधारण उपचार प्रदान करता है, जो अनिवार्य रूप से विवेकाधीन है, हालांकि कानूनी चोट पर आधारित है। यह रिट अदालत के लिए पूरी तरह से खुला है, इस शक्ति का प्रयोग करते हुए 775

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 776 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सार्वजनिक हित और इक्विटी परियोजनाओं के रूप में ऐसे आदेश पारित करना। कानूनी सूत्रीकरण को मामले की तथ्य स्थिति की वास्तविकताओं से अलग करके लागू नहीं किया जा सकता है। कानून का प्रशासन करते समय, इसे समानता के साथ शांत किया जाना चाहिए और यदि न्यायसंगत स्थिति कानूनी सूत्रीकरण को सही करने के बाद इसे तार्किक अंत तक नहीं ले जाने की मांग करती है, तो उच्च न्यायालय अपने कर्तव्य में विफल रहेगा यदि वह न्यायसंगत विचार को नहीं देखता है और अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए आदेश को नहीं ढालता है। कोई भी अन्य दृष्टिकोण उच्च न्यायालय को एक सामान्य अपील न्यायालय बना देगा जो ऐसा नहीं है।

52. एक संक्षिप्त इतिहास सहित प्रमाण पत्र की अनिवार्य विशेषताओं को बी. के. मुखर्जी, जे. इन द्वारा बहुत विस्तृत रूप से समझाया गया है।

टी. सी. बसप्पा बनाम टी. नागप्पा और अन्य, ए. आई. आर. 1954 एस. सी. 440 में रिपोर्ट किए गए।

न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक व्यापक और मौलिक सिद्धांतों को ध्यान में रखा जाता है, तब तक 'सभी उपयुक्त मामलों और उचित तरीके से' प्रमाणपत्र की प्रकृति में एक रिट जारी की जा सकती है। उन सिद्धांतों को निम्नलिखित रूप में चित्रित किया गया था:

“7. ... 'सर्टिओरारी' की रिट देने में, उच्च न्यायालय अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है। यह उन साक्ष्यों की समीक्षा या पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है जिन पर निम्न न्यायाधिकरण का निर्धारण आधारित होने का तात्पर्य है। यह उस आदेश को ध्वस्त कर देता है जिसे वह अधिकार क्षेत्र के बिना या स्पष्ट रूप से गलत मानता है, लेकिन निम्न न्यायाधिकरण के लिए अपने स्वयं के विचारों को प्रतिस्थापित नहीं करता है।

8. जैसा कि लॉर्ड समर द्वारा किंग बनाम नैट बेल लिमिटेड [(1922) 2 एसी 128,156] में व्यक्त किया गया है, प्रमाण पत्र के रिट के माध्यम से प्रयोग की जाने वाली वरिष्ठ अदालत की देखरेख दो बिंदुओं पर होती है। एक निम्न अधिकारिता का क्षेत्र और इसके अभ्यास की योग्यता और शर्तें हैं; दूसरा इसके अभ्यास के दौरान कानून का पालन है।....

9. प्रमाणपत्र झूठ बोल सकता है और आम तौर पर तब दिया जाता है जब किसी अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य किया हो।”

53. टी. सी. बसप्पा (ऊपर) पर भरोसा करते हुए, हरि विष्णु कामत (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने निम्नलिखित प्रस्तावों को भी स्थापित किया:

“(1) अधिकारिता की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जैसे कि जब कोई निम्न न्यायालय या न्यायाधिकरण अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक कार्य करता है, या इसका प्रयोग करने में विफल रहता है।

(2) प्रमाणपत्र तब भी जारी किया जाएगा जब न्यायालय या न्यायाधिकरण अपने निस्संदेह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए अवैध रूप से कार्य करता है, जैसे कि जब वह पक्षों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

(3) प्रमाणपत्र की रिट जारी करने वाला न्यायालय एक पर्यवेक्षी के प्रयोग में कार्य करता है न कि अपीलीय अधिकार क्षेत्र में। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पहुँचाए गए तथ्यों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों।”

54. इस न्यायालय ने समझाया कि जिस न्यायालय को किसी विषय वस्तु पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, उसे गलत के साथ-साथ सही भी निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, और जब विधानमंडल उस निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार प्रदान करने का विकल्प नहीं चुनता है, तो वह अपने उद्देश्य और नीति को विफल कर देगा यदि कोई उच्च न्यायालय साक्ष्य के आधार पर मामले की पुनः सुनवाई करता है और प्रमाणपत्र में अपने स्वयं के निर्णय को प्रतिस्थापित करता है।

55. सैयद याकूब बनाम के. एस. राधाकृष्णन और अन्य में,

ए. आई. आर. 1964 एस. सी. 477, पी. बी. गजेंद्रगडकर, सी. जे. ने संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए यह अभिनिर्धारित करते हुए मामले को किसी भी संदेह की स्थिति से परे रखा कि निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा की गई अधिकार क्षेत्र

की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रमाणपत्र की एक रिट जारी की जा सकती है। पैरा 7 में इस न्यायालय की टिप्पणियाँ ध्यान देने योग्य हैं:

“7. अनुच्छेद 226 के तहत प्रमाण पत्र जारी करने में उच्च न्यायालयों की अधिकारिता की सीमाओं के बारे में प्रश्न पर इस न्यायालय द्वारा अक्सर विचार किया गया है और इस संबंध में वास्तविक कानूनी स्थिति अब संदेह में नहीं है। निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा की गई अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने के लिए प्रमाणपत्र की एक रिट जारी की जा सकती है: ये ऐसे मामले हैं जहां आदेश निचली अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा अधिकार क्षेत्र के बिना पारित किए जाते हैं, या इससे अधिक होते हैं, या अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफलता के परिणामस्वरूप होते हैं। इसी तरह एक रिट जारी किया जा सकता है जहां उसे प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, न्यायालय या न्यायाधिकरण अवैध रूप से या अनुचित तरीके से कार्य करता है, उदाहरण के लिए, यह आदेश द्वारा प्रभावित पक्ष को सुनने का अवसर दिए बिना किसी प्रश्न का निर्णय करता है, या जहां विवाद से निपटने में अपनाई गई प्रक्रिया सिद्धांतों 777 के विपरीत है।

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 778

प्राकृतिक न्याय। हालाँकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रमाणपत्र की रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र एक पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करने का हकदार नहीं है। इस सीमा का अनिवार्य रूप से अर्थ है कि साक्ष्य की सराहना के परिणामस्वरूप निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा पहुँचाए गए तथ्यों को रिट कार्यवाही में फिर से नहीं खोला जा सकता है या उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। कानून की एक त्रुटि जो रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है, उसे एक रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है, लेकिन तथ्य की त्रुटि नहीं, चाहे वह कितनी भी गंभीर प्रतीत हो। न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य के संबंध में, प्रमाण पत्र का एक रिट जारी किया जा सकता है यदि यह दिखाया जाता है कि उक्त साक्ष्य को अभिलिखित करने में, न्यायाधिकरण ने गलती से स्वीकार्य और भौतिक साक्ष्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था, या गलती से अस्वीकार्य साक्ष्य को स्वीकार किया था जिसने विवादित साक्ष्य को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया है। इसी तरह, यदि तथ्य का निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है, तो उसे कानून की त्रुटि माना जाएगा जिसे प्रमाण पत्र के रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है। हालाँकि, इस श्रेणी के मामलों से निपटने में, हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के निष्कर्ष को इस आधार पर प्रमाण पत्र के लिए कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य असंगत थे या विवादित निर्णय को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त थे। साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता एक बिंदु पर आधारित है और उक्त निर्णय से तथ्य का निष्कर्ष निकाला जाना न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर है, और उक्त बिंदुओं को रिट कोर्ट के समक्ष उत्तेजित नहीं किया जा सकता है। यह इन सीमाओं के भीतर है कि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रदत्त अधिकार क्षेत्र का वैध रूप से प्रयोग किया जा सकता है।

56. सूर्य देव राय बनाम रामचंद्र राय और अन्य में, में रिपोर्ट किया गया

2003 (6) एस. सी. सी. 675, दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि प्रमाणिक अधिकारिता उपलब्ध है, लेकिन निश्चित रूप से इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि न्याय की कोई विफलता नहीं हुई होती तो उच्च न्यायालय को प्रमाणपत्र के रिट को अस्वीकार करने में न्यायसंगत ठहराया जाता। प्रमाणिक अधिकारिता का प्रयोग करने में, उच्च न्यायालय द्वारा आम तौर पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्न अदालत या न्यायाधिकरण को अपने निरीक्षण के लिए उच्च न्यायालय को अपने रिकॉर्ड या कार्यवाही को प्रमाणित करने का आदेश देना है ताकि उच्च न्यायालय यह निर्धारित कर सके कि क्या अभिलेख के सामने निम्न अदालत ने कोई त्रुटि की है जैसा कि समझाया गया है।

इस न्यायालय द्वारा हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक और अन्य मामले में, आकाशवाणी

1955 एस. सी. 233 न्याय की विफलता का कारण बनता है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

57. उपरोक्त से, यह एक अधिकारिता संबंधी त्रुटि के संदर्भ में कहा जा सकता है कि अधिकारिता की कमी विषय वस्तु की प्रकृति से उत्पन्न हो सकती है ताकि निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जांच में प्रवेश करने का अधिकार न हो। यह कुछ आवश्यक प्रारंभिक या क्षेत्राधिकार तथ्यों की अनुपस्थिति से भी उत्पन्न हो सकता है। जहाँ किसी निकाय की अधिकारिता प्रमाण पत्र के रिट के लिए किसी कार्यवाही में तथ्य के प्रारंभिक निष्कर्ष पर निर्भर करती है, वहाँ न्यायालय यह निर्धारित कर सकता है कि तथ्य का निष्कर्ष सही है या नहीं। इसका कारण यह है कि इस तरह के तथ्य पर गलत निर्णय लेने से अदालत या न्यायाधिकरण खुद को अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकता है।

58. एनिस्मिनिक लिमिटेड बनाम विदेशी क्षतिपूर्ति आयोग और

एक अन्य, (1969) 2 ए. सी. 147 में रिपोर्ट किया गया, हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 'क्षेत्राधिकार त्रुटि' की अवधारणा को बहुत व्यापक अर्थ दिया है। यह निर्धारित किया गया है कि एक न्यायाधिकरण न केवल उस सीमा पर अधिकार क्षेत्र को पार करता है जब वह एक ऐसी जांच में प्रवेश करता है जिसे करने का वह हकदार नहीं है, बल्कि वह पहली बार में अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एक जांच में प्रवेश कर सकता है और फिर कुछ ऐसा कर सकता है जिससे वह अपने अधिकार क्षेत्र से वंचित हो जाए और अपने निर्णय को अमान्य कर दे। लॉर्ड रीड के शब्दों में:

“लेकिन ऐसे कई मामले हैं जहाँ, हालांकि न्यायाधिकरण को जांच करने का अधिकार क्षेत्र था, उसने जांच के दौरान कुछ ऐसा किया है या करने में विफल रहा है जो इस तरह की प्रकृति का है कि उसका निर्णय अमान्य है। हो सकता है कि उसने गलत धारणा में अपना निर्णय दिया हो। हो सकता है कि उसने ऐसा निर्णय लिया हो जिसे लेने की उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। हो सकता है कि यह जांच के दौरान प्राकृतिक न्याय की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा हो। हो सकता है कि उसने पूरी सद्भावना से उन प्रावधानों का गलत अर्थ निकाला हो जो उसे कार्य करने की शक्ति देते हैं ताकि वह उसे भेजे गए प्रश्न से निपटने में विफल रहे और कुछ ऐसे प्रश्न का निर्णय लिया जो उसे नहीं भेजे गए थे। हो सकता है कि उसने किसी ऐसी बात को ध्यान में रखने से इनकार कर दिया हो जिसे ध्यान में रखना आवश्यक था। या हो सकता है कि उसने अपना निर्णय किसी ऐसे मामले पर आधारित किया हो, जिसे स्थापित करने वाले प्रावधानों के तहत उसे ध्यान में रखने का कोई अधिकार नहीं था। मेरा इरादा यह नहीं है कि यह सूची पूरी हो।”

59. जहाँ तक कानून की त्रुटियों का संबंध है, यदि रिकॉर्ड के सामने कानून की कोई त्रुटि स्पष्ट है तो प्रमाण पत्र का एक रिट जारी किया जा सकता है। सर्टिओरारी के रिट को आकर्षित करने के लिए, केवल कानून की त्रुटि पर्याप्त नहीं है। यह ऐसा होना चाहिए जो अभिलेख के सामने प्रकट या पेटेंट हो। केवल औपचारिक या तकनीकी त्रुटियाँ, यहाँ तक कि कानून की भी, पर्याप्त नहीं हैं, ताकि प्रमाण पत्र का एक रिट आकर्षित किया जा सके।

779

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 780 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार याद दिलाया गया है, यह अवधारणा अनिश्चित है और इसे सटीक या संपूर्ण रूप से नहीं माना जा सकता है और इसलिए इसे प्रत्येक मामले के तथ्यों पर विवेकपूर्ण तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए। अवधारणा, इस न्यायालय के अनुसार

के. एम. षण्मुगम बनाम S.R.V.S। (पी) लिमिटेड और अन्य, ए. आई. आर. 1963 में रिपोर्ट किए गए

एस. सी. 1626, 'में कई अभेद्य शामिल हैं। यह सटीक परिभाषा देने में सक्षम नहीं है, क्योंकि त्रुटि की स्पष्ट प्रकृति, काफी हद तक, व्यक्तिपरक तत्व पर निर्भर होने के कारण, कोई वस्तुनिष्ठ मानदंड निर्धारित नहीं किया जा सकता है।' हालाँकि, आवेदन करने के लिए एक सामान्य परीक्षण यह है कि किसी भी त्रुटि को रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है यदि यह 'स्वयं-स्पष्ट' या 'प्रकट' नहीं है। यदि इसे स्थापित करने के लिए किसी परीक्षण या तर्क की आवश्यकता होती है, यदि इसे तर्क की एक लंबी तैयार की गई प्रक्रिया, या लंबे या जटिल तर्कों द्वारा स्थापित किया जाना है, उन बिंदुओं पर जहाँ काफी दो राय हो सकती हैं, तो ऐसी त्रुटि कानून की त्रुटि नहीं होगी। (देखिए: सत्यनारायन लक्ष्मीनारायण

हेगड़े और अन्य बनाम मल्लिकार्जुन भावनाप्पा तिरुमाले, आकाशवाणी में रिपोर्ट किए गए

1960 एससी 137.) 60. हालाँकि, हमारी राय में, इस तरह के परीक्षण को एक स्ट्रैटजैकेट सूत्र में लागू नहीं किया जाना चाहिए और यह विफल हो सकता है क्योंकि जिसे एक न्यायाधीश द्वारा एक त्रुटि के रूप में स्वयं स्पष्ट माना जा सकता है, उसे दूसरे

न्यायाधीश द्वारा ऐसा नहीं माना जा सकता है। 61. इस स्तर पर, इस बिंदु पर सैयद याकूब (उपरोक्त) में इस न्यायालय की टिप्पणियों की याद दिलाना अनुचित नहीं हो सकता है, जो इस प्रकार हैं:

“जहां यह स्पष्ट या स्पष्ट है कि किसी निचली अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज कानून का निष्कर्ष प्रासंगिक वैधानिक प्रावधान की स्पष्ट गलत व्याख्या पर आधारित है, या इसके बारे में कुछ अनभिज्ञता में है, या इसकी अवहेलना में भी हो सकता है, या स्पष्ट रूप से उन कारणों पर आधारित है जो कानून में गलत हैं, उक्त निष्कर्ष को प्रमाण पत्र के रिट द्वारा सही किया जा सकता है। सर्टिओरारी केवल तथ्य की त्रुटियों को सुधारने के लिए भी झूठ नहीं बोलेगा, भले ही ऐसी त्रुटियां रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट हो सकती हैं। रिट अधिकार क्षेत्र पर्यवेक्षी है और इसका प्रयोग करने वाला न्यायालय अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि रिट अदालत साक्ष्य की फिर से सराहना नहीं करेगी और न्यायनिर्णायक निकाय द्वारा दर्ज तथ्य के अपने निष्कर्ष को प्रतिस्थापित नहीं करेगी, चाहे वह अदालत हो या न्यायाधिकरण। न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अभिलिखित तथ्य चाहे कितना भी गलत क्यों न हो, को इस आधार पर प्रमाणपत्र के लिए कार्यवाही में चुनौती नहीं दी जा सकती है कि पहले प्रस्तुत किए गए प्रासंगिक और भौतिक साक्ष्य

न्यायालय या न्यायाधिकरण विवादित निर्णय को बनाए रखने के लिए अक्षम या अपर्याप्त था।

यह भी अच्छी तरह से तय किया गया है कि एक बिंदु पर साक्ष्य की पर्याप्तता या पर्याप्तता और उक्त निर्णय से लिए जाने वाले तथ्य का निष्कर्ष न्यायाधिकरण के अनन्य अधिकार क्षेत्र के भीतर हैं और इन बिंदुओं को रिट अदालत के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है।”

62. उपरोक्त संदर्भ में, यह हमारे लिए प्रोफी टेबल होगा

इंडियन ओवरसीज बैंक बनाम आई. ओ. बी. स्टाफ कैंटीन श्रमिक संघ और एक अन्य के मामले में इस न्यायालय का निर्णय, ए. आई. आर. 2000 एस. सी. 1508 में रिपोर्ट किया गया।

इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

“... इस प्रयोजन के लिए विधिवत गठित तथ्य-प्रत्यक्षीकरण प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य के तथ्यों को और जिन्हें सामान्य रूप से शून्य माना जाना चाहिए, केवल इस कारण से बाधित नहीं किया जा सकता है कि वे सामग्री या साक्ष्य पर आधारित हैं जो रिट कोर्ट की राय में पर्याप्त या विश्वसनीय नहीं हैं, उन तथ्यों को किसी भी दर पर वारंट करने के लिए, जब तक कि वे ऐसी सामग्री पर आधारित हैं जो उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं या इस आधार पर भी कि एक और दृष्टिकोण है जो उचित रूप से और संभवतः किया जा सकता है।...”

63. हालाँकि, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि 'कोई सबूत नहीं' या विशुद्ध रूप से अनुमानों और अनुमानों पर आधारित तथ्य के तथ्यों या जो विकृत बिंदु हैं, उन्हें प्रमाण पत्र के माध्यम से चुनौती दी जा सकती है क्योंकि इस तरह के तथ्यों को कानून की त्रुटि माना जा सकता है।

64. इस प्रकार, ऊपर उल्लिखित विभिन्न निर्णयों से, हमें इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रमाणपत्र की रिट एक उच्च विशेषाधिकार रिट है और इसे केवल पूछने पर जारी नहीं किया जाना चाहिए। प्रमाणपत्र की रिट जारी करने के लिए, संबंधित पक्ष को उसी के लिए एक निश्चित मामला बनाना होगा और यह निश्चित रूप से एक मामला नहीं है। इसे स्पष्ट रूप से कहने के लिए, सर्टिओरारी अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को ठीक करने के लिए जारी करेगा, अर्थात् अनुपस्थिति, अधिकता या प्रयोग करने में विफलता और यह भी कि जब निस्संदेह अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में, अवैधता हुई है। यह निर्णय या निर्धारण में किसी त्रुटि को सुधारने के लिए भी जारी करेगा, यदि यह कार्यवाही के सामने प्रकट त्रुटि है। इसके अभ्यास से, केवल एक पेटेंट त्रुटि को ठीक किया जा सकता है, लेकिन एक गलत निर्णय भी नहीं। यह दोहराने की कीमत पर अच्छी तरह से याद रखा जाना चाहिए कि प्रमाणपत्र अपीलीय नहीं बल्कि केवल पर्यवेक्षी है।

781

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 782

65. प्रमाणपत्र का एक रिट, एक उच्च विशेषाधिकार प्राप्त रिट होने के नाते, किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों के प्रयोग के संबंध में एक उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जब तर्क यह होता है कि प्रयोग करने वाले प्राधिकरण का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था या अधिकार क्षेत्र से अधिक था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि

अपीलों के इस समूह में संबंधित न्यायाधिकरणों या अधिकारियों के पास मामले से निपटने का अधिकार क्षेत्र था। हालांकि, तर्क यह होगा कि न्यायाधिकरणों ने मनमाने ढंग से और अवैध रूप से काम किया था और वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर उचित निर्णय देने में विफल रहे थे। हम केवल यह कह सकते हैं कि प्रमाणपत्र के रिट के लिए एक रिट-आवेदन पर निर्णय लेते समय, न्यायालय एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने की दृष्टि से उसकी वैधता का परीक्षण करने के लिए न्यायाधिकरणों के आदेश के खिलाफ अपील की अदालत के रूप में नहीं बैठा है। यदि कोई सबूत है, तो अदालत इस बात की जांच नहीं करेगी कि इससे सही निष्कर्ष निकाला गया है या नहीं। यह कानून का एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि जहां किसी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण का आदेश या निर्णय तथ्यों या गुण-दोष के मामले में गलत है, वहां प्रमाणपत्र की रिट नहीं होगी। (देखिए: किंग बनाम नेट बेल लिंकर लिमिटेड, (1922) 2 एसी 128 (पीसी))

66. हम सत्यनारायण लक्ष्मीनारायण हेगड़े (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के एक निर्णय को स्पष्ट रूप से उद्धृत कर सकते हैं ताकि अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि या एक त्रुटि के वास्तविक उद्देश्य और अर्थ को समझा जा सके जिसे स्वयं स्पष्ट कहा जा सकता है। उस मामले के तथ्य इस प्रकार थे: 67. प्रत्यर्थी ने सिरसी के मामलातदार के राजस्व न्यायालय में संपत्ति के कब्जे के वितरण के लिए अनुरोध करते हुए एक आवेदन किया, जिसे अपीलार्थी उस तारीख को अपने अधीन किरायेदार के रूप में रख रहा था, जो प्रत्यर्थी के पूर्ववर्ती द्वारा अपीलार्थी के पूर्ववर्ती के हित में निष्पादित 'मुलेगेनी' विलेख के आधार पर था। यह मामला बॉम्बे टेनेंसी एंड एग्रीकल्चरल लैंड्स एक्ट, 1948 द्वारा शासित था, और विवादग्रस्त प्रश्नों में से एक यह था कि क्या कब्जे की डिलीवरी के लिए आवेदन करने से पहले, प्रत्यर्थी पर यह दायित्व था कि उसने टेनेंसी को समाप्त करने का नोटिस दिया हो। मामलातदार ने प्रत्यर्थी के पक्ष में कब्जा करने का आदेश दिया। कलेक्टर ने अपील को स्वीकार कर लिया और मामलातदार के आदेश को रद्द कर दिया। बॉम्बे रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, जिसे यह मामला अपील पर लिया गया था, ने कहा कि चूंकि प्रतिवादी निष्कासन के लिए कार्रवाई शुरू करने से पहले नोटिस द्वारा किरायेदारी को समाप्त करने में विफल रहा था, इसलिए वह कब्जे की वसूली के लिए आवेदन पर विचार करने का हकदार नहीं था।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

68. इसके बाद, प्रत्यर्थी ने राजस्व न्यायाधिकरण और कलेक्टर के आदेश को रद्द करने और मामलातदार के आदेश को बहाल करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक आवेदन किया। उच्च न्यायालय की राय थी कि न्यायाधिकरण ने एक त्रुटि की थी जो रिकॉर्ड के सामने यह अभिनिर्धारित करने में स्पष्ट थी कि कब्जे का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि कार्यवाही की स्थापना के समक्ष किरायेदारी को समाप्त करने का नोटिस नहीं दिया गया था और उसने न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करते हुए और मामलातदार के आदेश को बहाल करते हुए प्रमाण पत्र का एक रिट जारी किया।

69. उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक अपील का नेतृत्व किया गया था और इस न्यायालय ने उस आदेश को इस आधार पर उलट दिया कि बॉम्बे राजस्व न्यायाधिकरण के फैसले में कथित त्रुटि, अर्थात् जब तक कि बॉम्बे किरायेदारी और कृषि भूमि अधिनियम, 1948 की धारा 14 द्वारा आवश्यक पूर्व सूचना नहीं दी गई थी, तब तक कब्जे के लिए आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट त्रुटि नहीं थी ताकि प्रमाण पत्र के रिट द्वारा सुधार किया जा सके और इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गईं:

“17 एक त्रुटि जिसे उन बिंदुओं पर तर्क की एक लंबी प्रक्रिया द्वारा स्थापित किया जाना है जहां दो राय हो सकती हैं, शायद ही रिकॉर्ड के सामने एक स्पष्ट त्रुटि कहा जा सकता है। जैसा कि प्रतिद्वंद्वी दलीलों की उपरोक्त चर्चा से पता चलता है कि वर्तमान मामले में कथित त्रुटि स्पष्ट नहीं है और यदि इसे स्थापित किया जा सकता है, तो इसे लंबे और जटिल तर्कों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए। हमें नहीं लगता कि इस तरह की त्रुटि को इस तरह की रिट जारी करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियम के अनुसार प्रमाणपत्र के रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है।”

70. हम इस न्यायालय के एक और निर्णय को भी उद्धृत कर सकते हैं जिसमें प्रमाण पत्र जारी करने की वास्तविक गुंजाइश और अभिलेख के सामने स्पष्ट त्रुटि क्या है, जिसे प्रमाण पत्र जैसे उच्च विशेषाधिकार वाले रिट जारी करके ठीक किया जा सकता है। इब्राहिम अबूबकर के मामले में और

हवाबाई अबूबकर बनाम निर्वासित संपत्ति के संरक्षक जनरल, नई

दिल्ली, (1952) 1 एस. सी. सी. 798 में प्रतिवेदित, इस न्यायालय ने पैरा 12,13,14 और 15 में टिप्पणियां कीं, जिन्हें हम नीचे उद्धृत करते हैं:

“12. हमारे सामने प्रचार किए गए शेष तीन प्रश्न, जब तक कि वे ऐसी प्रकृति के न हों जो प्रतिवादी के दिनांकित 13-5-1950 के निर्णय को शून्य बना दे, प्रमाणपत्र के रिट का विषय नहीं हो सकता है।

783

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 784 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

यह स्पष्ट है कि इस तरह के रिट को इस आधार पर अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एक निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए नहीं दिया जा सकता है। वास्तव में, इस तरह के रिट को जारी करने से पहले यह दिखाया जाना चाहिए कि आदेश पारित करने वाले प्राधिकरण ने अधिकार क्षेत्र के बिना या उससे अधिक या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया। अधिकारिता की कमी विषय-वस्तु की प्रकृति से उत्पन्न हो सकती है, ताकि निचली अदालत को जांच या उसके किसी हिस्से पर प्रवेश करने का अधिकार न हो। यह कुछ आवश्यक प्रारंभिक की अनुपस्थिति या वास्तविक मामले के लिए संपार्श्विक कुछ विशेष तथ्यों के अस्तित्व पर भी उत्पन्न हो सकता है जिसे अदालत को आजमाना है और जो उसके द्वारा अधिकार क्षेत्र की धारणा के लिए पूर्ववर्ती शर्तें हैं। लेकिन एक बार जब यह माना जाता है कि अदालत के पास अधिकार क्षेत्र है, लेकिन इसका प्रयोग करते समय, उसने एक गलती की, तो गलत पक्ष केवल मामलों को सही करने के लिए कानून द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ले सकता है क्योंकि अदालत के पास सही और गलत निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है। हमारे सामने जिन तीन प्रश्नों को उठाया गया है, वे ऐसे प्रश्न नहीं प्रतीत होते हैं जो अपील न्यायालय के अधिकार क्षेत्र या उन्हें स्वीकार करने के उसके अधिकार पर निर्भर करते हैं।

13. यह तर्क दिया गया था कि सीमित अधिकार क्षेत्र का कोई भी न्यायालय उस मामले के गुण-दोष के लिए एक बिंदु संपार्श्विक पर गलत निर्णय द्वारा खुद को अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकता है, जिस पर उसकी अधिकार क्षेत्र की सीमा निर्भर करती है और प्रतिवादी के समक्ष अपील में शामिल प्रश्न मामले के गुण-दोष के लिए संपार्श्विक थे। जैसा कि लॉर्ड एशर, एम. आर. ने आर. वी. में बताया है। सी. आई. टी. [आर. वी. सी. आई. टी., (1888) एल. आर. 21 क्यू. बी. डी. 313 (सी. ए.)], ऊपर वर्णित सूत्र काफी स्पष्ट है लेकिन इसका अनुप्रयोग अक्सर भ्रामक होता है। रोल्स के विद्वान मास्टर ने मामलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया: (क्यू. बी. डी. पीपी. 319-20)

“... जब कोई निचली अदालत या न्यायाधिकरण या निकाय, जिसे तथ्यों को तय करने की शक्ति का प्रयोग करना होता है, पहले संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया जाता है, तो विधायिका को इस बात पर विचार करना होता है कि वह उस न्यायाधिकरण या निकाय को क्या शक्तियां देगी। वह प्रभावी रूप से यह कह सकता है कि यदि तथ्यों की एक निश्चित स्थिति मौजूद है और कुछ चीजें करने के लिए आगे बढ़ने से पहले ऐसे न्यायाधिकरण या निकाय को दिखाया जाता है, तो उसे ऐसी चीजें करने का अधिकार क्षेत्र होगा, लेकिन अन्यथा नहीं। वहाँ यह निर्णायक रूप से तय करना उनके लिए नहीं है कि क्या तथ्यों की वह स्थिति मौजूद है, और यदि वे इसके अस्तित्व के बिना अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हैं, तो वे क्या करते हैं, इस पर सवाल उठाया जा सकता है।

और यह अभिनिर्धारित किया जाएगा कि उन्होंने अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया है। लेकिन चीजों की एक और स्थिति है जो मौजूद हो सकती है। विधायिका न्यायाधिकरण या निकाय को एक अधिकारिता सौंप सकती है जिसमें यह निर्धारित करने की अधिकारिता शामिल है कि क्या तथ्यों की प्रारंभिक स्थिति मौजूद है और साथ ही अधिकारिता, [और] यह सुनिश्चित करने पर कि यह मौजूद है, आगे बढ़ने या कुछ और करने के लिए। जब विधायिका सीमित अधिकार क्षेत्र वाले ऐसे न्यायाधिकरण या निकाय की स्थापना कर रही होती है, तो उन्हें इस बात पर भी विचार करना होता है कि वे उन्हें जो भी अधिकार क्षेत्र देते हैं, क्या उनके निर्णय से कोई अपील होगी, अन्यथा कोई नहीं होगी। दो मामलों में से दूसरे में, मैंने उल्लेख किया है कि यह कहना सूत्र का गलत अनुप्रयोग है कि न्यायाधिकरण कुछ तथ्यों को गलत तरीके से तय करके खुद को अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकता है, क्योंकि विधायिका ने उन्हें प्रारंभिक तथ्यों के अस्तित्व सहित सभी तथ्यों को निर्धारित करने के लिए अधिकार क्षेत्र दिया है, जिन पर उनकी अधिकार क्षेत्र का आगे का प्रयोग निर्भर करता है; और यदि उन्हें निर्णय लेने के लिए अधिकार क्षेत्र दिया गया था, तो बिना कोई अपील किए, उनके अधिकार क्षेत्र के इस तरह के प्रयोग से कोई अपील नहीं है।”

14. धारा 24 के तहत अपीलों की सुनवाई के लिए गठित न्यायाधिकरण का गठन इन शर्तों में किया गया है:

“धारा 7, धारा 16, धारा 19 या धारा 38 के तहत दिए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस तरह से और ऐसे समय के भीतर अपील कर सकता है जो निर्धारित किया जाए -

(क) अभिरक्षक को, जहां मूल आदेश एक उप या सहायक अभिरक्षक द्वारा पारित किया गया है;

(ख) कस्टोडियन जनरल को, जहां मूल आदेश कस्टोडियन, एक अतिरिक्त कस्टोडियन या एक अधिकृत उप कस्टोडियन द्वारा पारित किया गया है।”

15. दीवानी मामलों में सामान्य अधिकारिता का प्रयोग करने वाले सभी अपील न्यायालयों की तरह, प्रतिवादी को व्यापक आयाम के शब्दों में एक अपीलीय न्यायालय का गठन किया गया है और विधायिका ने यह प्रावधान करके अपने अधिकार क्षेत्र को सीमित नहीं किया है कि ऐसी कवायद तथ्यों की किसी विशेष स्थिति के अस्तित्व पर निर्भर करेगी। आम तौर पर, अपील न्यायालय के पास न केवल 785 के निर्णय की दृढ़ता निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र होता है।

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 786

निचली अदालत त्रुटि की अदालत के रूप में, लेकिन चीजों की प्रकृति से पक्षकारों द्वारा प्रारंभिक मुद्दों की प्रकृति में उसके सामने उठाए गए किसी भी बिंदु को निर्धारित करने का अधिकार क्षेत्र भी है। इस तरह की अधिकारिता अपील की अदालत के रूप में इसके संविधान में निहित है। क्या कोई अपील सक्षम है, क्या किसी पक्ष को इसे पसंद करने का अधिकार है, क्या सार में अपील एक या किसी अन्य आदेश से है और क्या इसे उचित रूप में और निर्धारित समय के भीतर पसंद किया गया है, ये सभी मामले इस प्रकार गठित अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए हैं। ऐसा न्यायाधिकरण मास्टर ऑफ द रोल्ल्स [आर. वी.] के वर्गीकरण के वर्ग 2 के अंतर्गत आता है। सीआईटी, (1888) एलआर 21 क्यूबीडी 313 (सीए)। इन परिस्थितियों में, हमें ऐसा लगता है कि पंजाब उच्च न्यायालय का यह आदेश कि 13-5-1950 के आदेश को रद्द करते हुए प्रत्यर्थी को प्रमाणपत्र की रिट जारी नहीं की जा सकती, सही था। हमारा यह भी मानना है कि उठाई गई किसी भी दलील में कोई दम नहीं है।”

71. पैरी एंड कंपनी लिमिटेड बनाम वाणिज्यिक कर्मचारियों के मामले में यह न्यायालय

एसोसिएशन, मद्रास एंड अदर (1952) 1 एस. सी. सी. 449: ए. आई. आर. 1952 एस. सी. 177 ने अभिनिर्धारित किया:

“14. मामले के अभिलेख कार्यवाही के सामने किसी भी स्पष्ट त्रुटि या श्रम आयुक्त द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया में किसी भी अनियमितता का खुलासा नहीं करते हैं जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत है। इस प्रकार यहां ऐसा कोई आधार नहीं था जो न्यायिक या अर्ध-न्यायिक कार्यों का प्रयोग करने की शक्तियों के साथ किसी निम्न न्यायाधिकरण के आदेश या कार्यवाही को हटाने के लिए प्रमाण पत्र जारी करने में किसी उच्च न्यायालय को उचित ठहराए। उच्च न्यायालय ने वास्तव में जो किया है वह एक अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करना और श्रम आयुक्त के निर्णय में त्रुटि को सही करना है। जाहिर है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। स्थिति अलग हो सकती थी यदि श्रम आयुक्त ने किसी ऐसे मामले पर निर्णय लेने से इनकार कर दिया होता, जिसे वह तय करने के लिए बाध्य था और ऐसे मामलों में एक अधिदेश वैध रूप से उन प्रश्नों को निर्धारित करने के लिए प्राधिकरण को आदेश जारी कर सकता है, जिन्हें उसने अनिर्णित छोड़ दिया था [शिक्षा बोर्ड बनाम राइस, 1911 ए. सी. 179 (एच. एल.)]; लेकिन किसी निम्न न्यायाधिकरण द्वारा अधिकार क्षेत्र के साथ पारित निर्णय को केवल इस आधार पर रद्द करने के लिए कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है कि ऐसा निर्णय गलत है। इसलिए, हमारी राय में, उच्च न्यायालय का निर्णय स्पष्ट रूप से अस्थिर है।

(बल दिया गया)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

72. एक अन्य मामले में, उसी न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

““इन बिंदुओं पर अपील न्यायाधिकरण के फैसले को इस आधार पर रद्द करने के लिए एक प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता है कि निर्णय गलत है।” इब्राहिम अबूबकर बनाम द कस्टोडियन जनरल ऑफ इवैक्यूई प्रॉपर्टी ', 1952 मैड डब्ल्यू. एन. 502 (एससी)।”

73. अतः यह स्पष्ट है कि दोषपूर्ण अधिकारिता के मामलों को छोड़कर तथ्य और कानून की व्याख्या के सभी मामलों में न्यायाधिकरण के निर्णय को अनिवार्य माना जाना चाहिए।

74. इस स्थिति को आधिकारिक रूप से हैल्सबरी के लॉज ऑफ इंग्लैंड Vol.IX में पैरा 1493 में संक्षेपित किया गया है जहाँ इसे इस प्रकार निर्धारित किया गया है:

“1493. जहाँ कार्यवाहियाँ नियमित रूप से होती हैं और मजिस्ट्रेटों के पास अधिकार क्षेत्र होता है, वहाँ उच्च न्यायालय इस आधार पर प्रमाणपत्र की रिट नहीं देगा कि नीचे दिए गए न्यायालय ने कानून के एक बिंदु को गलत समझा है। जब नीचे दिए गए न्यायालय के पास किसी मामले का निर्णय करने की अधिकारिता होती है, तो उसे अपने अधिकार क्षेत्र से अधिक या दुरुपयोग करने वाला नहीं माना जा सकता है, केवल इसलिए कि वह संयोग से किसी कानून का गलत अर्थ लगाता है, या अवैध साक्ष्य को स्वीकार करता है, या कानूनी साक्ष्य को अस्वीकार करता है, या साक्ष्य के भार के रूप में खुद को गलत दिशा देता है, या बिना सबूत के दोषी ठहराता है। न ही अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी निचली अदालत के फैसले को इस आधार पर रद्द करने के लिए प्रमाणपत्र दिया जाएगा कि निर्णय तथ्य के मामलों में गलत है, और अदालत तथ्यों पर निर्णय को महाभियोग करने वाले सबूत नहीं सुनेगी।....”

75. इसी तरह-‘कोलोनियल बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया बनाम विलन’, (1874) एल. आर. 5 पी. सी. 417 में रिपोर्ट किए गए मामले में, यह उनके लॉर्डशिप्स द्वारा इस प्रकार मनाया जाता है: “सवाल यह है कि क्या निचली अदालत के पास जांच करने का अधिकार क्षेत्र है और न कि क्या जांच के दौरान प्रक्रिया में चूक हुई है।” उसी मामले के पृष्ठ 443 पर, विद्वान न्यायाधीशों ने कहा-“विषय-वस्तु पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले न्यायाधीश द्वारा एक निर्णय, यदि इसके चेहरे पर कोई दोष दिखाई नहीं देता है, तो उसे उसमें बताए गए तथ्यों के निर्णायक के रूप में लिया जाना चाहिए।” (1874) एल. आर. 5 पी. सी. 417 में मामले को जे. फजल अली द्वारा अनुमोदित रूप से उद्धृत किया गया है।

आयोजित-‘राय बृज राज कृष्णा और एक अन्य बनाम मेसर्स एस. के. शॉ और ब्रदर्स’,

ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 115 ने कहा कि कानून की त्रुटि अधिकार क्षेत्र की त्रुटि नहीं है और तथ्यों या कानून पर गलत निर्णय पर दीवानी अदालत में सवाल नहीं उठाया जा सकता है। 76. यह न्यायाधिकरणों के लिए खुला है कि वे उनके सामने रखी गई सामग्री पर किसी न किसी निष्कर्ष पर आ सकें, इसलिए यह किसी भी तरह से नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय 787 हैं।

आयुर्वेद विज्ञान में अनुसंधान के लिए केंद्रीय परिषद बनाम बीकार्टन दास [जे. बी. पारदीवाला, जे.] 788

गलत हैं ताकि प्रमाण पत्र के एक रिट द्वारा हस्तक्षेप के लिए असाधारण अधिकार क्षेत्र को आकर्षित किया जा सके। आर. वी. में राजा की पीठ के फैसले में। ब्राइटन एंड एरिया रेंट ट्रिब्यूनल, (1950) 1 ऑल इंग्लैंड रिपोर्टर 946, लॉर्ड गोडार्ड, सी. जे. ने कहा कि:

“... चूंकि न्यायाधिकरण ने अधिनियम की सभी औपचारिकताओं का अवलोकन किया था, इसके किसी भी प्रावधान के खिलाफ या इसके तहत बनाए गए विनियमों के खिलाफ समाप्त नहीं हुआ था, इसलिए यह मानने का कोई आधार नहीं था कि न्यायाधिकरण का निर्धारण कानून के अनुसार नहीं था, और इसलिए, प्रमाण पत्र और अनिवार्यता के प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

77. प्रमाणपत्र का उद्देश्य, जैसा कि हम समझते हैं, केवल निम्नतर न्यायाधिकरणों को उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर सीमित करना है, ताकि अनियमित अभ्यास, या गैर-अभ्यास या इसकी अवैध धारणा से बचा जा सके और कानून के तहत उनमें निहित शक्तियों के प्रयोग में उनके द्वारा किए गए तथ्य या कानून की व्याख्या की त्रुटियों को ठीक न किया जा सके। स्वीकृत नियम यह है कि जहाँ किसी न्यायालय को अधिकार क्षेत्र है, उसे मामले में सामने आने वाले प्रत्येक प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार है और क्या उसका निर्णय सही है या अन्यथा, वह तब तक खड़ा रहने के लिए बाध्य है जब तक कि एक सक्षम न्यायालय द्वारा उलट नहीं किया जाता है। जी में यह न्यायालय।

वीरप्पा पिळई बनाम मेसर्स रमन एंड रमन लिमिटेड कुंभकोणम, तंजौर

जिला और अन्य, (1952) 1 एस. सी. सी. 334 ने कहा:

“26. अनुच्छेद 226 में जिन रिटों का उल्लेख किया गया है, उनका उद्देश्य स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय को गंभीर मामलों में उन्हें जारी करने में सक्षम बनाना है, जहां अधीनस्थ न्यायाधिकरण या निकाय या अधिकारी पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना, या उससे अधिक, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए कार्य करते हैं, या उनमें निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से इनकार करते हैं, या रिकॉर्ड के सामने कोई त्रुटि स्पष्ट है, और इस तरह के कार्य, चूक, त्रुटि या अधिकता के परिणामस्वरूप स्पष्ट अन्याय हुआ है। न्यायक्षेत्र चाहे कितना भी व्यापक क्यों न हो, हमें ऐसा लगता है कि यह इतना व्यापक या बड़ा नहीं है कि उच्च न्यायालय खुद को अपील की अदालत में परिवर्तित कर सके और अपने लिए विवादित निर्णय की शुद्धता की जांच कर सके और यह तय कर सके कि क्या उचित दृष्टिकोण है या क्या आदेश दिया जाना है।”

78. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है और इसे दरकिनार किया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

79. परिणामस्वरूप, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है। 2020 की रिट याचिका (सी) संख्या 30620 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 17.12.2020 द्वारा पारित विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।

80. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

81. हस्तक्षेप करने वालों द्वारा दायर अंतरिम आवेदन का भी निपटारा कर दिया गया है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

दिव्या पांडे